खण्ड-453, अंक-7
मंगलवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(15 मार्च, 2005 ई0)

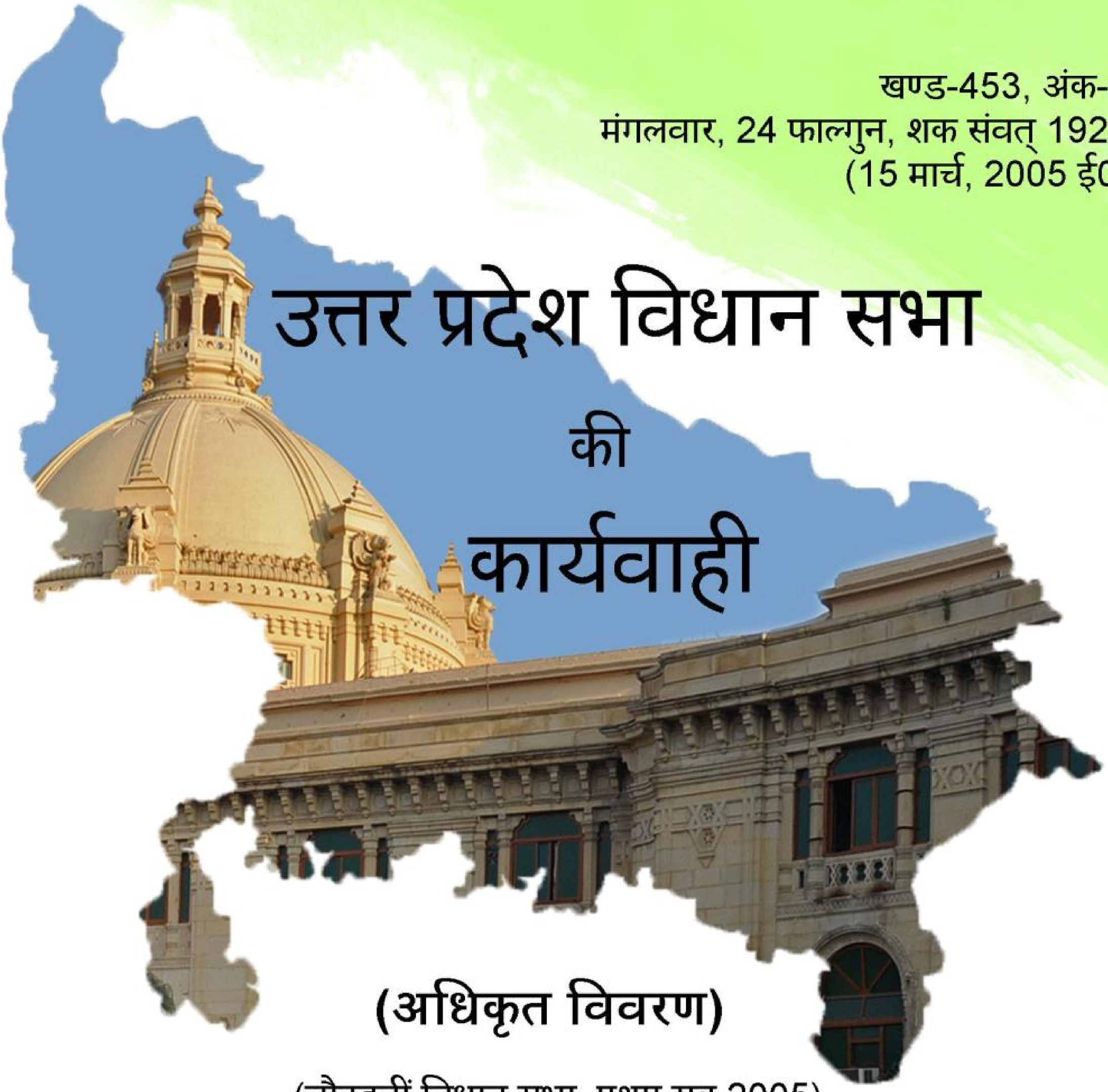

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 453 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
प्रदेश में खाद्यान्न घोटाले से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को तत्काल लिये जाने की मांग	1-2
प्रश्नोत्तर	2-44
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	44
वास्य सहायतित परियोजना विभाग में उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना में हुए कथित घोटाले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
कुटीर ज्योति योजना के तहत किये गये विद्युत कनेक्शनों को बिना पूर्व सूचना के पूर्ण कनेक्शन के रूप में हजारों रुपयों की बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
गोरखपुर में व्यापारी नेता की अल्प वयस्क पुत्री के अपहरण के मामले को सुलझाने में स्थानीय प्रशासन की असफलता के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
जनपद-बहराइच में कतिपय आयुर्वेदिक अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	46-47
जल संस्थान मऊरानीपुर जनपद झांसी की लापरवाही से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
राज्य सरकार के लेखा-परीक्षा विभागों के लेखा परीक्षक संवर्ग को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षा संवर्ग के समान वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
लखनऊ पूर्व विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों में जल संस्थान द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत बंधे के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की भूमि को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद शाहजहांपुर की पुवायां सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतन सम्बन्धी बकाया का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद-कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत तहसील तमकुहीराज में अग्निशमन गाड़ियों की संख्या बढ़ाते हुए अग्निशमन दल गाड़ी और फ्लोट पम्प उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत सेवहरी मण्डप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	49-50
मेरठ महानगर में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वन विभाग द्वारा हरितमा संवर्धन योजना हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद-लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थित सात मंजिली राजकीय कालोनी की जीर्ण-शीर्ण चार लिफ्टों के खराब होने से मरीजों को लाने ले जाने में असुविधा के कारण उनके स्थान पर ओटिस कम्पनी की नई लिफ्टों के प्रतिस्थापन हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
जनपद-बाराबंकी की नगर पंचायत फतेहपुर में पेयजल की आपूर्ति हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद-आजमगढ़ की चीनी मिल सठियांव की क्षमता दो गुनी की जाने, किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान एवं मजदूरों के वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	51-52
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	52
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 (उ0 प्र0 विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	52-53
उत्तर प्रदेश माल के प्रदेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ...	53
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ...	53
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ...	53-54
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	54
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित) ...	54-55
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल, आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित)	55-56
उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2005, जैसा उ0 प्र0 विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ। (पारित)	56-64
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005, जैसा उ0 प्र0 विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ। (पारित)	64-65

विषय	पृष्ठ-संख्या
बुन्देलखण्ड क्षेत्र स्थित जनपद झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, बांदा तथा ललितपुर आदि में हुई ओलावृष्टि से सम्बन्धित चर्चा पर सूचनादाता सदस्यों द्वारा चर्चा आरम्भ न किये जाने पर चर्चा का निरस्तीकरण	65-66
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	66-67
जनपद-आगरा के व्यस्ततम मुख्य मार्गों पर नगर निगम की देख-रेख में खुले रूप से बेचे जा रहे मांस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	67-68
जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यकारी संस्था पैक्सफेड द्वारा घटिया किस्म के निर्माण समाग्री लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मोहनदेव शंखवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य ...	68-69
मेरठ मण्डल में कृषकों के हजारों निजी नलकूपों के एस्टीमेट जमा होने के बावजूद कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	69-70
श्री रामबचन सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनपद-मऊ द्वारा राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हेतु जमीन एवं धनराशि देने के उपरान्त भी कालेज की स्थापना न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	70-71
जनपद-बलिया की रसड़ा तहसील में मुंसिफ न्यायालय के भवन का निर्माण हो जाने के उपरान्त भी न्यायालय चालू न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	71-72
जनपद-मुजफ्फरनगर के कैराना, पंजीठ एवं ऊंचागांव के विद्युत घर के ओ0सी0वी0 विगत कई महीनों से खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति ठप्प होने एवं फसलों की सिंचाई न होने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	72
जनपद-जौनपुर के त्रिलोचन बाजार में रंगदारी टैक्स वसूलते समय व्यवसायी श्री कन्हैया लाल गुप्ता की गोली लगने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	72-73

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-अम्बेडकर नगर के नेवादा विद्युत उपकेन्द्र का ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने पर श्री राकेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	73-74
इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	74-75
राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्राचार्य के विरुद्ध जांच/स्थानान्तरण की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य ...	76-77
जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड माल में सामन्तों द्वारा दलित समाज के व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य....	77-78
जनपद-आजमगढ़ के सभी नर्सिंग होमों में पेशेवर रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य....	78-79
मेरठ नगर निगम में स्थानीय निकायों की नामावली के पुनरीक्षण में अनियमितता किये जाने एवं मतदाता सूची में लाखों लोगों का नाम सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य....	79-80
जनपद-बलिया रेवती कस्बे के पास श्री राम नाथ पाण्डये के पुत्र का अपहरण कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य....	80-81
जनपद-बरेली के ग्राम-गुलड़िया गौरीशंकर के श्री अमर सिंह लोधी एंव उनकी पत्नी के साथ बदमाशों द्वारा लूट-पाट करने एंव विरोध करने पर श्री लोधी की हत्या किये जाने तथा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य....	81-82
श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों एंव औषधालयों में दवा की खरीद पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य....	82-84

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी में गंगा नदी के पानी के प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने विषयक ...	84
तथा	
प्रदेश के वर्ष 2004-2005 में किसानों को सूखे से हुई क्षति का सूखा राहत देने हेतु मानक बनाये जाने विषयक नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाओं का निरस्तीकरण	84
नत्थी	85

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-280

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कार्शाराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर

कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त, श्री	श्रावस्ती
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री	चित्रकूट
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्धनगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूलाल, श्री	गोण्डा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाज़ीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राज नाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शर्बार, श्री	बहराइच
शर्मीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद

सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- श्री मुन्ना सिंह चौहान (सिंचाई मंत्री)
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) तथा
श्री अजीत कुमार राजू (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में खाद्यान्न घोटाले से सम्बन्धित नियम 311 की सूचना को तत्काल लिये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

अध्यक्ष जी, हमने 311 में एक नोटिस दी है, मेरा अनुरोध हे कि प्रश्न प्रहर रोककर हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय टण्डन जी, 311 की नोटिस आपकी आई है, 311 अभी तक इस समय कभी लिया नहीं जाता रहा है, अभी प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिए फिर जो कुछ आप कहना चाहते हैं, उसे शून्य प्रहर में कह लीजिएगा प्रश्न प्रहर चलने दें।

श्री लालजी टण्डन-

तब इसका महत्व ही खत्म हो जायेगा। मैं तो अभी कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप शून्य प्रहर में अपनी बात कह लेते, नियमों में प्रावधान है। मेरा निवेदन है कि आप नियमों के अन्तर्गत ही अपनी बात कहें। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नियमों में ही कहते, यह आपका लम्बा विषय है।

(श्री जगदम्बिका पाल तथा भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब, आप बैठ जायें, नेता विरोधी दल खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं। माननीय नेता विरोधी दल, आप सारे नियमों से भिज्ञ हैं, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। यह सारे विषय जो आपने दिये हैं, वह नोटिस मैंने पढ़ी है, यह सभी एक-एक करके नियम-51, 56, 301 के माध्यम से सदन के पटल पर आ चुके हैं और उसके उत्तर भी सदन में आ चुके हैं, फिर भी आप कहना चाहते हैं तो जीरो ऑवर में कह लें। तब आपको अनुमति दे देंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान होने लगा)

श्री लालजी टण्डन-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा, जब मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप जीरो ऑवर में उठायें तब भी अप बोल रहे हैं। यह लिखा नहीं जायेगा।

(तदुपरान्त भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, आप सारी कार्यवाही को स्थगित कर दें और हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रदर्शन का स्थल नहीं है, आपने अपना प्रदर्शन कर दिया, अब अपने स्थान पर जायें।

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, जो घोटाले हुए हैं, उनकी सी0बी0आई0 जांच करायी जाये।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

भरत सिंह जी, 311 की नोटिस पर मैंने नेता विरोधी दल को कहा है कि जब शून्य प्रहर आयेगा तब वह पूरी बात कह लें।

(बेल में आये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

मेरा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जायें। मेरी इच्छा है कि सदन चले और आप लोग अपनी बात अच्छी तरह से रखें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी सीटों पर चले जायें, मेरी इच्छा है कि सदन चले।

(बेल में आये सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग जानबूझ कर इस सदन को चलाना नहीं चाहते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हमारी इस सरकार को चुनौती है कि वह जो फाइलें खोलने की धमकी देते हैं तो वह फाइलें खोलें। मुख्यमंत्री जी, एक भी फाइल खोल दें और इन फाइलों को सी0बी0आई0 को दे दें। जितना धान पैदा नहीं हुआ तो उससे अधिक धान की खरीद कैसे हो गयी ?

श्री अध्यक्ष-

सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है और यह सदन चलना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जानबूझकर सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। जो विषय यहां उठ चुके हैं उन्हीं विषयों को जानबूझकर उठाना चाहते हैं। आपको सदन चलाने में कोई रुचि नहीं है। मैं सदन को 12.20 तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर †

। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत विभिन्न हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों को सशर्त मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या धारा 9(4) के अन्तर्गत विभिन्न हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों को मान्यता सशर्त प्रदान की जाती है ? यदि हां तो ऐसी शर्तों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये क्या कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† नोट :--उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी हां।

जी हां।

क्षेत्र तथा छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत सशर्त मान्यता प्रदान की जाती है तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने हेतु आवश्यकतानुसार 6 माह अथवा एक वर्ष का समय दिया जाता है। मान्यता की शर्तों को पूरा करने हेतु परिषद् द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक तथा यथासम्भव प्रबन्धतंत्र को भी निर्देश प्रसारित किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षकों के चयन की व्यवस्था

*1-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग की नयी व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षकों के चयन की क्या व्यवस्था है ? क्या इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने हेतु सरकार विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/विशिष्ट योग्यताओं पर देय अंक के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाती है।

चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाती है।

प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेल एवं नहर के पानी से सिंचाई का खर्च माफ करने की नीति

*2-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कतिपय राज्यों में किसानों को निःशुल्क विद्युत की तर्ज पर क्या सरकार प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेल एवं नहर के पानी से सिंचाई का खर्च माफ करने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त नीति कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचारार्धीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

असेवित ब्लाकों में निजी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए शासन की नीति व अनुसूचित जाति की प्रबन्धकीय कमेटियों को दी जा रही वरीयता की जानकारी

*3-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असेवित ब्लाकों में निजी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या शासन द्वारा अनुसूचित जाति की प्रबन्धकीय कमेटियों को इसमें वरीयता दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 28 दिसम्बर, 1998।

जी नहीं।

शासनादेश दि0 28 दिसम्बर, 1998 में विहित शर्तों को पूर्ण करने वाली सर्वाधिक उपयुक्त संस्था के चयन की नीति है।

प्रदेश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की योजना

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता अनुरूप शिक्षक पदों पर पदोन्नति करने की कोई योजना

*5-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति, उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप शिक्षक पदों पर करने की कोई योजना सरकार के विचारार्धीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

*6-श्री भरत सिंह-

[5वें सोमवार के तारां0 प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विभिन्न महाविद्यालयों को बी0एड0 की मान्यता व उनके शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी

*7-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विभिन्न महाविद्यालयों को बी0एड0 की मान्यता इन शर्तों के अधीन प्रदान की गई है कि वे भूमि, भवन, अध्यापक (फैकल्टी) की व्यवस्था एक निश्चित अवधि में कर लें ? यदि हां, तो उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये क्या कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन महाविद्यालय को बी0एड0 पाठ्यक्रम में एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। यथा-निरीक्षण आख्या/प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा करना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा

परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत नियमों का अनुपालन करना आदि।

जी हां।

विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाता है कि महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्व शिक्षा परियोजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की जानकारी

*8-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सभी को शिक्षा परियोजनान्तर्गत क्या-क्या कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं और इसकी उपलब्धि का विवरण क्या है ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III संचालित है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वजनीकरण के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा की पहुंच में विस्तार, बच्चों के ठहराव में बृद्धि तथा शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

उपलब्धि के विवरण निम्नवत् हैं :-

(1) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III के अन्तर्गत असेवित बस्तियों में 2502 नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गये हैं, 5374 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, 10016 कक्षा-कक्षों का निर्माण तथा 12343 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। अध्यापक-छात्र अनुपात सुधारने हेतु 2736 अध्यापकों तथा 12267 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6536 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 9859 उच्च प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तियों में खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त 4467 विद्यालय भवनों, 7039 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों 12988 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है, शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवीन विद्यालयों हेतु तथा अध्यापक-छात्र अनुपात सुधारने हेतु 42115 अतिरिक्त शिक्षक दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त 84085 शिक्षा मित्र नियुक्त हो चुके हैं तथा शेष की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

(3) कक्षा 1-8 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1-5 तक के ऐसे सामान्य वर्ग के बच्चों, जो कि सर्व शिक्षा अभियान योजना से संचालित नहीं है, को भी निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें आगामी शिक्षा सत्र, 2005-06 से वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) अध्यापकों के शिक्षण कौशल के सम्बर्द्धन हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रत्येक विकास खण्ड में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये है।

जनपद लखनऊ की तहसील-मलिहाबाद में आम क्रय केन्द्र स्थापित करने की मांग

*9-श्री कौशल किशोर-

क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद की तहसील-मलिहाबाद व तहसील लखनऊ के आम उत्पादक किसानों का आम विदेशों में निर्यात करने हेतु क्या सरकार कोई क्रय केन्द्र मलिहाबाद में स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह क्रय केन्द्र कब से काम करना शुरू कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बाबूलाल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा सीधे निर्यात का कार्य करने की कोई योजना नहीं है अपितु निर्यातकों को प्रदेश से आम के निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

*10-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

[8वें सोमवार के तारां0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सिंचाई की तात्कालिक एवं दीर्घकालिक कार्य योजना

*11-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो इस समस्या के निदान के लिये क्या सरकार ने कोई तात्कालिक तथा दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में बोये गये क्षेत्र के सापेक्ष लगभग 41 प्रतिशत क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। अतएव बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कुछ भाग में पर्याप्त सिंचाई साधन न होने के कारण फसलों को नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सिंचाई हेतु यद्यपि की कोई संहत दीर्घकालीन कार्ययोजना नहीं बनाई गई है परन्तु क्षेत्रीय सिंचाई समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 6 परियोजनायें-राजघाट नहर परियोजना, सिंजार बांध, तथा कुरार बांध, लखेड़ी बांध, रसिन बांध तथा चौ0 चरण सिंह (औगासी) पम्प नहर का आधुनिकीकरण निर्माधीन है। इसके अतिरिक्त नलकूपों का निर्माण भी किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त 4 नई परियोजनायें कचनौधा बांध, भौरट उटारी बांध, अर्जुन सहायक पोषक नहर तथा चौ0 चरण सिंह (लहचूरा शीर्ष) के आधुनिकीकरण परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजनाओं से लगभग 1.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*12-डा0 अजय कुमार-

[5वें गुरु के ता0प्र0सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्तियों में की जा रही घोर अनियमितताओं के सम्बन्ध में कर्मचारी संघ के ज्ञापन पर उच्चस्तरीय जांच की मांग

*13-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही घोर अनियमितताएं एवं नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनवरी, 2005 में कर्मचारी संघ द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया था ? क्या यह सही है कि उनकी मांगों पर समुचित न्याय न मिल पाने के कारण दिनांक 23-1-03 से कर्मचारी हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने दिनांक 31-12-2004 को विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया था।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी दिनांक 23-1-2005 से हड़ताल पर थे।

मांगें संलग्न है।

जी नहीं।

विश्वविद्यालय प्रशासन तथा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के मध्य दिनांक 7-2-2005 को समझौता हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 85पर।)

जनपद-बस्ती, गोरखपुर, बहराइच व महराजगंज के प्राथमिक विद्यालयों में मई, 2003 में सहायक अध्यापकों के पद पर की गई नियुक्ति की जांच

*14-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 2003 में जनपद-बस्ती, गोरखपुर, बहराइच, बुलन्दशहर व महाराजगंज के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर लगभग एक हजार अध्यापकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई थी क्या यह सही है कि लगभग तीन माह शिक्षण कार्य करने के उपरान्त बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना वेतन दिये उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अध्यापकों को बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं। नियुक्तियां अवैधानिक ढंग से की गईं।

जी हां।

नियुक्ति प्रारम्भ से ही विधि शून्य होने के कारण बिना पूर्व सूचना व वेतन दिये उन्हें पद मुक्त किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचारार्धीन है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में बी0 फार्मा के छात्रों से बढ़ाकर फीस लिये जाने का प्रकरण

*15-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सरकार को जानकारी है कि विगत शिक्षा सत्र 2003-2004 में प्राविधिक विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते समय बी0 फार्मा के छात्रों से शासन द्वारा रु0 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार मात्र) शिक्षण शुल्क जमा किए जाने का निदेश दिया गया था और उसी आधार पर शिक्षण शुल्क वसूला भी गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त शिक्षा सत्र समाप्त हो जाने के उपरान्त वर्तमान शिक्षा सत्र, 2004-05 में राम इंश इन्स्टीट्यूट आफ वोकेशनल एण्ड टेक्निकल एजुकेशन कासना रोड, ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उ0 प्र0 में बी0 फार्मा द्वितीय वर्ष के छात्रों से इस वर्ष बढ़ाई गई फीस रु0 48,000/-के अन्तर अर्थात् 13,000/-और जमा कराये जाने हेतु छात्रों पर दबाव डाला जा रहा है ? यदि हां, तो वर्तमान वर्ष में विगत वर्ष की फीस वसूले जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त संस्थान द्वारा की जा रही फीस की वसूली पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, संस्था द्वारा गत वर्ष की भांति ही शुल्क प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा आलू निर्यात की योजना

*16-श्री सोबरन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा आलू के उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए निर्यात करने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू लाल-

जी हां।

प्रदेश में उत्पादित आलू के विपणन/निर्यात प्रोत्साहन हेतु (उत्पादकों/फर्मों/निर्यातकों) निम्नलिखित योजनायें प्रस्तावित हैं :--

(1) प्रदेश से बाहर देश में 500 किमी0 से अधिक दूरी हेतु विपणन हेतु रु0 25 प्रति कुण्टल अथवा परिवहन भाड़े का 25 प्रतिशत जो भी कम हो।

(2) प्रदेश से देश के बाहर निर्यात हेतु परिवहन भाड़े का 40 प्रतिशत अथवा रु0 100 प्रति कुण्टल, जो भी कम हो।

(3) प्रदेश से देश के बाहर विदेशों में आलू भण्डारीकरण हेतु भण्डारीकरण शुल्क में 20 प्रतिशत सीमा तक अनुदान।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[दिनांक 3-3-2005 को अता0 प्र0 सं0 8 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया के बंगरा बाजार में खजड़ीवाला की अष्टधातु की मूर्ति लगाने व गांव में विद्युतीकरण की घोषणा

2-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-देवरिया के बंगरा बाजार में दिनांक 04-01-04 को आपके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 भागवत भगत (खजड़ीवाला) की प्रतिमा का अनावरण करते समय उक्त गांव के विद्युतीकरण एवं बंगरा बाजार में उनकी अष्टधातु की मूर्ति लगाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणाओं को पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू लाल-

जी हां

जनपद देवरिया के बंगरा बाजार में स्व0 श्री भागवत भगत (खजड़ीवाला) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति लगाये जाने की घोषणा की गयी थी किन्तु अष्टधातु की मूर्ति लगाये जाने की घोषणा नहीं की गयी थी। तद्नुसार बंगरा बाजार तिराहे पर स्व0 भागवत भगत (खजड़ीवाला) की संगमरमर की मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। उक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पैतृक गांव के विद्युतीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सलेमपुर, देवरिया द्वारा महाप्रबन्धक उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीयक प्रणाली संगठन (रेस्पो) शक्ति भवन, लखनऊ को रुपये 2,27,479.00 का आगणन भेजा गया है। रेस्पो से आवश्यक सामग्री व धन प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[3सरे गुरु के अता0 प्र0 सं0 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया के रुद्रपुर में बांध के सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव

4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में नकईल-सेमरौना बांध, मदनपुर-केवटलिया बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता कार्य खण्ड देवरिया द्वारा धन आवंटित करने हेतु शासन को वर्ष 2004 में प्रेषित किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर को बजट आवंटित न करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

5-श्री राम करन आर्य-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-01-05 जो 65 लाख रुपये की साख सीमा एवं बजट का आवंटन सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर को न करके ड्रेनेज

खण्ड सिद्धार्थनगर को किए जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को जांच के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से अध्यापकों को नगर क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

6-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित है ? क्या यह सही है कि नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से अध्यापकों को नगर क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

संवर्ग अलग होने के कारण प्रतिबन्ध है।

स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों में मैनेजमेन्ट कोटा की सीटों पर डोनेशन की जानकारी

7-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों में मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत आने वाली सीटों पर डोनेशन की सीमा तय करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इंजीनियरिंग कालेजों में मैनेजमेंट कोटा की सीटों पर डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कालपी महाविद्यालय में नियमित व मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्ति की जानकारी

8-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबन्धन के अधीन महाविद्यालयों में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? इनमें से कितने पद पर गत एक वर्ष से नियमित नियुक्ति की गयी तथा कितने पर मानदेय पर नियुक्ति गयी ? क्या कालपी महाविद्यालय, जनपद-जालौन के रिक्त पदों पर नियमित या मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्ति विचाराधीन है ? यदि हां, तो नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

1631 पद।

नियमित नियुक्ति-182

मानदेय पर नियुक्ति-814

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के मुमताज इण्टर कालेज कदौरा के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय के मरम्मत की मांग

9-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन में राजकीय मुमताज इण्टर कालेज, कदौरा का भवन अत्याधिक जीर्णशीर्ण है तथा चहारदीवारी न होने के कारण विद्यालय में जानवर घुसते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र प्रमुख सचिव, शिक्षा को पृष्ठांकन संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम0 107506/2004, दिनांक 14-8-04 के द्वारा भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां ।

प्रश्नगत मुमताज राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा, जालौन के नवीन भवन एवं चहारदीवारी निर्माण हेतु आगणन आदि प्राप्त किये जा रहे हैं जिनके प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई सचिव शाखा सचिवालय के लेखाकार द्वारा विभाग के मृतक आश्रितों, सेवानिवृत्तों के लाखों रुपये के गबन पर कार्यवाही करने की मांग

10-श्री कमलेश कुमार-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई सचिव शाखा, सचिवालय के लेखाकार-सह-कोषाध्यक्ष श्री सीताकान्त शरण पाण्डे द्वारा विभाग के मृतक आश्रितों, सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के देयों से सम्बन्धित लाखों रुपये की धनराशि का गबन किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का गबन किया गया है ? क्या यह सही है कि गबन की गयी धनराशि को पुनः आहरित करने पर वित्त विभाग द्वारा माह जुलाई, 2004 में सहमति दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को पुनः आहरित धनराशि द्वारा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित कर्मियों को उनके देयों का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

लेखा सम्बन्धी अभिलेखों की प्रारम्भिक छानबीन पर प्रश्नगत कर्मचारी शासकीय धन के गबन, दुरुपयोग, धोखाधड़ी एवं हेराफेरी करने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं प्रकरण की औपचारिक विभागीय जांच एवं पुलिस विवेचना की जा रही है।

प्रारम्भिक छानबीन के अनुसार रु0 5,87,701/- की धनराशि गबन की गई है।

जी नहीं, यह सहमति माह जून, 2004 में कतिपय शर्तों के अधीन प्राप्त हुई है।

जी नहीं।

वित्त विभाग ने इस शर्त पर सहमति प्रदान की है कि प्रकरण में मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही पुनर्आहरित धनराशि का भुगतान किया जाये। गबन की गयी धनराशि के पुनर्आहरण की स्वीकृति हेतु0 मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त ही देयों का भुगतान किया जना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातक/परास्नातक स्तर पर अरबी, फारसी व उर्दू विषयों के शिक्षण की व्यवस्था

11-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा परास्नातक स्तर पर अरबी, फारसी तथा उर्दू विषयों के शिक्षण की व्यवस्था है ? इन विषयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की विगत तीन वर्षों की संख्या क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अरबी, फारसी तथा उर्दू एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में मात्र उर्दू विषय के शिक्षण की व्यवस्था है।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयों में अरबी; फारसी एवं उर्दू विषयों में शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से सूचना अप्राप्त है।

उक्त विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या निम्नवत् है :--

विषय	वर्ष	छात्रों की संख्या
उर्दू	2003	4637
	2004	4563
	2005	5058
अरबी	2003	150
	2004	170
	2005	185
फारसी	2003	45
	2004	54
	2005	62

जी0 आर0 बी0 इण्टर कालेज, राठ (हमीरपुर) में आयोग द्वारा नियुक्त प्रधानाचार्य को समस्त अधिकार प्रदान किये जाने का प्रकरण

12-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0आर0वी0 इण्टर कालेज राठ (हमीरपुर) में आयोग द्वारा चयनित करके नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गयी थी ? क्या यह सही है कि

प्रबन्धतंत्र द्वारा उनके स्थान पर प्रधानाचार्य का कार्य अनधिकृत रूप से एक अन्य व्यक्ति से लिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर अब तक निर्णय न हो जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार आयोग द्वारा नियुक्त प्रधानाचार्य को समस्त अधिकार प्रदान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

जी हां।

आयोग द्वारा नियुक्त प्रधानाचार्य श्री आर0 एस0 त्रिपाठी के हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर द्वारा दिनांक 16-2-2005 को प्रमाणित कर दिया गया है, साथ ही प्रबन्धक को निर्देशित कर दिया गया है कि वे श्री त्रिपाठी के प्रधानाचार्य के दायित्वों का निर्वहन करायें। प्रभारी प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर निरस्त कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी0 आर0 बी0 इण्टर कालेज, राठ में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने की जानकारी

13-श्री आशुतोष मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0आर0बी0 इण्टर कालेज, राठ (हमीरपुर) में वर्ष 2003 में प्रवेश के समय में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि प्रभारी, प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धतंत्र द्वारा वसूल की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?•यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर से करायी जा रही है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दो माह में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के जी0 आर0 बी0 इण्टर कालेज में मुख्य मंत्री कोष से प्रदत्त धनराशि से निर्मित छात्रावास में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

14-श्री आशुतोष मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0आर0बी0 इण्टर कालेज, राठ जनपद-हमीरपु में मुख्य मंत्री कोष से प्रदत्त रु0 10.00 लाख धनराशि से निर्मित छात्रावास में की गयी वित्ती अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर की अध्यक्षता में गठित जांच समि की आख्या दिनांक 24-5-2003 के अनुसार संयुक्त [illegible] करने के दोषी विद्यालय प्रबन्धव तत्कालीन प्रवक्ता एवं तत्कालीन लिपिक के विरुद्ध मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक [illegible] द्वारा दि

गये आदेश दिनांक 17-10-2003 के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा क्या एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य जी0 आर0 वी0 इण्टर कालेज, राठ, हमीरपुर को निर्देश दिये गये हैं। जिनसे अग्रेतर कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जनपद-चन्दौली के स्वामी योगानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सैफपुर चहनिया के प्रधानाध्यापक के पद पर की गई अनियमित नियुक्ति को निरस्त करने की मांग

15-श्री फागू चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्वामी योगानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सैफपुर चहनिया, जनपद-चन्दौली में प्रबन्धतंत्र का विवाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के बावजूद विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग-6 द्वारा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति सितम्बर, 2004 में की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार प्रधानाध्यापक के पद पर की गई अनियमित नियुक्ति को निरस्त किये जाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

विशेष सचिव अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं। उनके द्वारा मात्र नियुक्ति करने की अनुमति दी गयी है।

शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2003 की व्यवस्थानुसार अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक है।

जी नहीं

प्रश्नगत नियुक्ति उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विधि विहित प्रक्रिया द्वारा की गयी है।

स्मिथ इण्टर कालेज, अजमतगढ़ के खेल मैदान में स्थित दुकानों के आवंटन की जांच

16-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्मिथ इण्टर कालेज, अजमतगढ़, आजमगढ़ के खेल मैदान में दो दुकानों का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्या आवंटन होने से पूर्व सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आवंटन निरस्त करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

स्मिथ इण्टर कालेज, अजमतगढ़, आजमगढ़ के खेल मैदान में दो दुकानों का आवंटन की जांच करने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को दिनांक 10 मार्च, 2005 को दे दिये गये हैं।

जांचोपरान्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जांचोपरान्त स्थिति स्पष्ट होने पर कार्यवाही की जायेगी।

मौलाना आजाद इण्टर कालेज, इंजामशहीद, आजमगढ़ की अल्पसंख्यक के रूप में अवैधानिक मान्यता का प्रकरण

17-श्री राम किशुन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौलाना आजाद इण्टर कालेज, इंजामशहीद, आजमगढ़ की अल्पसंख्यक के रूप में अवैधानिक मान्यता को समाप्त करने के लिए हरिश्चन्द्र यादव एवं अरुण कुमार मिश्र का कोई पत्र माह अगस्त, 2001 में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शिकायती पत्र दिनांक 28-6-2001 प्राप्त हुआ है।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ को जांच हेतु निर्देशित किया जा चुका

प्रश्न नहीं उठता।

मौलाना आजाद एजूकेशनल सोसाइटी, इंजामशहीद, आजमगढ़ को सामान्य विद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रकरण

18-श्री राम किशुन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौलाना आजाद एजूकेशनल सोसाइटी, इंजामशहीद, तहसील-सगड़ी, आजमगढ़ की स्थापना एक सामान्य विद्यालय के रूप में हुई थी जिसका नं0 284/1960-61 है ? यदि हां, तो क्या यही संस्था 13-1-1977 को अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में घोषित हुआ ? यदि हां, तो एक सामान्य संस्था किस प्रकार अल्पसंख्यक घोषित हुई ? क्या उक्त संस्था के नाम से दूसरी संस्था 1978-79 में अंजामशहीद, आजमगढ़ में पंजीकृत हुआ जिसका फाईल सं0-आई0 48852 एवं रजि0 नं0 3581/78-79 है ? यदि हां, तो क्या दूसरी संस्था का रजिस्ट्रेशन नियम एवं विधान सम्मत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अल्पसंख्यक विद्यालय की मान्यता समाप्त करके सामान्य विद्यालय के रूप में मान्यता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

तत्समय विद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 13-1-77 द्वारा विद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है।

जी हां।

उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 5-5-2001 द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते हुए सोसाइटी अधिनियम की धारा 12 डी के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर में 2000 से 2002 के मध्य सरकारी व गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा कोष का दुरुपयोग

19-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बिजनौर में जुलाई, 2000 से जून, 2002 के मध्य सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के क्रीड़ा कोष के लिये संचित धनराशि का उपयोग जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बिजनौर के सौन्दर्यीकरण पर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में मदरसा अरबिया बालिका इण्टर कालेज को अनुदान सूची पर लिये जाने की जानकारी

20-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 21 सितम्बर, 1994 को जनपद गाजीपुर में मदरसा अरबिया अन्सारिया बालिका इण्टर कालेज यूसुफपुर को वित्त सहित मान्यता दिये जाने की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

दिनांक 14-10-86 से प्रदेश के विद्यालयों को धारा 7-क (क) के अन्तर्गत वित्त विहीन मान्यतायें प्रदान की जा रही हैं। ऐसे विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने की व्यवस्था नहीं है। अतः प्रश्नगत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा की बाह तहसील के दस्यु प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों को दस्यु गिरोहों में शामिल होने से रोकने के उपायों की जानकारी

21-राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि आगरा जनपद की बाह तहसील के दस्यु प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों को दस्यु गिरोहों में सम्मिलित होने से रोकने के उद्देश्य से सरकार ने चम्बल नदी से 450 क्यूसेक पानी 11000 वोल्ट पर चलने वाले 1776 हार्सपावर के 8% पम्प दो चरणों में स्थापित कराने हेतु राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह ने चम्बल डाल नहर बनवाई है, जो वर्ष 2000 से चल रही है ? क्या इस नहर के विद्युत एवं यांत्रिक प्रकृति के कार्यों के सलाना रख-रखाव हेतु शासनादेश सं0 4505/02-सिं0-4-6/एस0ए0वी0/2001 दिनांक 26-12-2002 द्वारा निर्धारित मानक धनराशि रु0 6000 प्रति क्यूसेक के अनुरूप रु0 54 लाख प्रमुख अभियन्ता (यॉ) सि0वि0 को आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां, जनपद आगरा की बाह तहसील में चम्बल नदी पर राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह, चम्बल डाल परियोजना दो चरणों में है तथा इस पर स्थापित मोटरें 11000 वोल्ट पर चलती हैं। यह पम्प नहर 11/2000 से सिंचाई कर रही हैं।

वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों के यांत्रिक एवं विद्युत प्रकृति के कार्यों के रख रखाव हेतु शासनादेश सं0-4505/02-सिं-4-एस0ए0वी0/2001, दिनांक 26-12-02 के क्रम में निर्गत शासनादेश सं0-77/03-27-सि-6 एस0ए0वी0/2001, दिनांक 31-1-03 द्वारा संशोधित हो गया है, जिसके अनुसार प्रश्नगत पम्प नहर हेतु धनराशि रु0 3200.00 प्रति क्यूसेक की दर से कुल धनराशि रु0 28.80 लाख का आवंटन अनुमन्य होता है, जिसके सापेक्ष प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए अब तक धनराशि रु0 5.00 लाख का आवंटन किया गया है तथा उक्त के अतिरिक्त धनराशि रु0 5.00 लाख की व्यवस्था राज्य आकस्मिकता निधि से कराये जाने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है। शेष धनराशि धनाभाव में फिलहाल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

उ0 प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ में तैनात शिक्षकों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की जानकारी

22-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ में तैनात शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को वर्ष 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वेतनमान कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, वेतनमान का पुनरीक्षण 1-1-96 अथवा पद सृजन की तिथि से जो भी बाद में हो, से किया गया है परन्तु पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 1-9-2000 से दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियादबाद में हिण्डन नदी शमशान घाट की सरकारी जमीन के आवंटन का प्रकरण

23-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद जनपद में हिण्डन नदी शमशान घाट पर खसरा नम्बर-1416 में नहर विभाग की सरकारी जमीन का पट्टा (अस्थायी भूमि प्रयोग) आवंटन अधिशासी अभियंता, हेड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर ओखला द्वारा राजाज्ञा सं0 3508 (1) सख/99-27 सिं0-3-53 एल/92, दिनांक 22 सितम्बर, 1999 के विपरीत चार व्यक्तियों को भूमि का आवंटन लकड़ी टाल हेतु किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमित किये गये भूमि आवंटन को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी के किनारे शमशान घाट पर खसरा नं0-1416 में स्थित सिंचाई विभाग की भूमि में से चार व्यक्तियों को प्रत्येक को 150-150 वर्ग फिट भूमि वार्षिक रुपया तीन हजार की दर से शवों को जलाने के लिये लकड़ी विक्रय करने हेतु अस्थायी रूप से आवंटित की गयी है।

प्रकरण में जांच करायी जा रही हैं जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के डलमऊ में गौरा माइनर की सफाई कराकर पानी टेल तक पहुंचाने के सम्बन्ध में जानकारी

24-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र डलमऊ में गौरा माइनर की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे किसानों की जमीन की सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई कराकर पानी टेल तक पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

उक्त माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने का कारण सिल्ट सफाई नहीं है, अपितु पम्पों की क्षमता एवं जल स्तर का अत्यन्त कम होना है।

डलमऊ पम्प नहर के पम्पों को बदलने तथा नहर की क्षमता सुधार की परियोजना स्वीकृत है और आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

25-श्री कौशल किशोर-

[3रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की सभी नहरों की सिल्ट सफाई पर वर्ष 2004-2005 में आवंटित धनराशि की जानकारी

26-श्री कौशल किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों की सिल्ट सफाई हेतु वर्ष 2004-2005 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या प्रदेश की सभी नहरों की सिल्ट सफाई हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई की गयी ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 में प्रश्नगत कार्य हेतु विभागीय बजट से रु0 27.53 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर से भी सिल्ट सफाई के मद में धनराशि उपलब्ध कराई गई।

प्रदेश में कुल 69966 कि0मी0 नहरें हैं जिसमें से लगभग 55800 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई की आवश्यकता होती है किन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इस वर्ष 9729 कि0मी0 रजबहा एवं 19075 कि0मी0 अल्पिका अर्थात कुल 28804 कि0मी0 सिल्ट सफाई करायी जा सकी है।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद के अन्तर्गत नहरों व माइनरों की सिल्ट सफाई का विवरण

27- श्री कौशल किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों की सिल्ट सफाई का मानक प्रदेश सरकार ने क्या निर्धारित किया ? क्या लखनऊ जनपद के मलिहाबाद व लखनऊ तहसील के अन्तर्गत नहरों व माइनरों की सिल्ट सफाई वर्ष 2004-2005 में की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन नहरों व माइनरों की कुल कितने कि0मी0 सिल्ट सफाई की गयी है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

नहरों में जल प्रवाह के साथ बालू व उगे खरपतवार से नहरें अपनी क्षमता से नहीं चल पाती हैं अतः इनमें सिल्ट सफाई की आवश्यकता होती है। नहरों की सिल्ट सफाई/पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में शासन के निर्देश हैं वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत इसकी कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाय। कार्य योजना में रजबहा/माइनर का नाम, कुल लम्बाई रीचवार सफाई का विवरण, वित्तीय व्यवस्था प्रस्तावित कार्यों का भौतिक विवरण, कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि इंगित की जाय। जिन नहरों पर सिल्ट सफाई/पुनर्स्थापना के कार्य गत वर्ष किये गये हों, उनको सामान्यतः न लिया जाय।

जी हां।

मलिहाबाद तहसील के अन्तर्गत काकोरी राजबहा, अटारी माइनर, आट माइनर, सस्पन माइनर और कसमण्डी राजबहा तथा लखनऊ तहसील के अन्तर्गत काकोरी फीडर गहरू राजबहा, बरौली माइनर, रहीमाबाद माइनर एवं लखनऊ के चिनहट विकास खण्ड के अन्तर्गत गजेशपुर माइनर, नौबस्ता माइनर और मुरादाबाद चिनहट राजबहा की कुल 75.07 कि0मी0 लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है।

जनपद बलिया में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

28-श्री रामकरन आर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बलिया में कितने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पांच वर्ष या अधिक समय से तैनात हैं ? इनमें से कितनों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है तथा कब से ? क्या इन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत जिले से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

दो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पांच वर्ष या अधिक समय से तैनात हैं।

एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 1-11-2004 से विभागीय जांच गतिमान है।

जी हां।

शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर, वि0 ख0 दूबेपुर में स्थित शारदा सहायक नहर की सफाई की मांग

29-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0ख0 दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर में स्थित शारदा सहायक नहर, जौनपुर ब्रान्च में लौहर पश्चिम माइनर की सफाई न होने के कारण आस-पास के अमेठा, बहोलिया, पडाकिया, सराय रामपुर गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो जाती हैं तथा माइनर में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता ? क्या सरकार लौहर पश्चिम माइनर की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

विकास खण्ड दूबेपुर, जनपद सुल्तानपुर में स्थित जौनपुर ब्रांच से निकली लोहार पश्चिम माइनर की सफाई नियमानुसार विगत माह अक्टूबर/नवम्बर, 2004 में की गयी है तथा टेल तक पानी भी पहुंचाया गया है। इन नहरों के डिजाइन में कमी होने के कारण टेल तक पानी पहुंचने में कठिनाई होती है। जहां तक जलमग्न होने का प्रश्न है, किसानों द्वारा सिंचाई के लिये नहर के किनारे काट लिये जाते हैं एवं पुनः सिंचाई करने के उपरान्त उनको बन्द नहीं किया जाता है।

सफाई कराकर पानी पहुंचाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान द्वारा शिक्षा मित्र के चयन में की गयी अनियमितताओं पर कार्यवाही की मांग

30-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमरेड़ी विकास खण्ड जैतीपुर तिलहर जनपद शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान द्वारा शिक्षा मित्र के चयन में की गयी अनियमितताओं पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आपका पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम-112147/2004, दिनांक 5-11-2004 प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

शिकायत की जांच सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र जैतीपुर द्वारा कराई गई। जांच आख्यानुसार प्राथमिक विद्यालय बस्ती नगला, ग्राम पंचायत अमरेड़ी में शिक्षा मित्र के चयन हेतु प्रस्ताव दिनांक 1-1-2002 को किया गया था जिसमें 02 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, लब्धांक के आधार पर श्री धीरपाल सिंह का चयन किया गया था। श्री धीरपाल सिंह के मूल निवास की पुष्टि में भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र तहसीलदार तिलहर द्वारा प्रदत्त स्थाई निवास प्रमाण-पत्र एवं ग्राम प्रधान द्वारा भी निवास प्रमाण-पत्र दिया गया है जिस पर मा0 विधायक द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किये गये पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय हेतु ग्राम समाज की जमीन आवंटित करने का प्रकरण

31- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिलहर जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय हेतु ग्राम समाज की जमीन आवंटित करने हेतु पत्रांक संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-112130/2004, दिनांक 4-11-2004 प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को नियमों के अन्तर्गत तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना की मुख्य नहर की क्षमता की जानकारी

32- राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना क्षमता 400-1/2 क्यूसेक है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षमता के अनुसार मुख्य नहर पूरा 400-1/2 क्यूसेक का पानी ग्रहण करती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मुख्य नहर की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए क्या कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना की मुख्य नहर की क्षमता 450 क्यूसेक है।

जी नहीं।

प्रश्नगत नहर के पूरी क्षमता से नहीं चलने के लिये पम्पों में यांत्रिक दोष, नहरों में धनाभाव के कारण रख-रखाव की कमी तथा निरन्तर विद्युत आपूर्ति न होना है जिसके निराकरण हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह, चम्बल डाल परियोजना की माइनर से पूरी क्षमता से पानी निकलने हेतु सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी

33-श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह, चम्बल डाल परियोजना की मुख्य नहर से निकली हुई माइनर में पूरी क्षमता से पानी मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत माइनर में रबी में पूरी क्षमता से पानी मिल रहा है परन्तु खरीफ में पूरी क्षमता से पानी नहीं मिलता है।

प्रश्नगत नहर के पूरी क्षमता से नहीं चलने के लिये पम्पों में यांत्रिक दोष नहरों में धनाभाव के कारण रख-रखाव की कमी तथा निरन्तर विद्युत आपूर्ति न होना है जिसके निराकरण हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना में लगे पम्पों की क्षमता की जानकारी

34-श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह, चम्बल डाल परियोजना में जोती के चार पम्प 150.2 क्यूसेक क्षमता के लगाये गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त पम्प 150.2

क्यूसेक पानी न देकर मात्र 90-90 क्यूसेक प्रति-पम्प पानी दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां, चम्बल डाल पम्प नहर प्रथम चरण पर ज्योति मैक के 4 पम्प 25.4 मी0 हेड पर 150 क्यूसेक क्षमता के स्थापित किये गये हैं।

दिनांक 7-11-04 को मापे गये निकास क्रमशः 28 मी0 हेड पर 112, 100, 98 तथा 108 क्यूसेक थे। यह सही है कि उपलब्ध हेड के सापेक्ष पम्प वांछित निकास नहीं दे रहे हैं।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना के गूलों के निर्माण की मांग

35-श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना के गूलों का निर्माण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गूलों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना के अन्तर्गत मात्र 30 से 40 प्रतिशत तक गूलों का निर्माण कृषकों द्वारा किया गया है।

गूलों के निर्माण हेतु प्रकरण रामगंगा समादेश प्रक्षेत्र विकास प्राधिकारी कानपुर को प्रेषित कर दिया गया है।

सिंचाई विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि उपर्युक्त समादेश विकास प्राधिकारी द्वारा अपनी प्रक्रिया के अर्धीन एवं धन की उपलब्धता के अनुरूप निर्माण किया जाता है।

राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना से रबी एवं खरीफ की फसलों की सिंचाई हेतु पानी की मांग

36- श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजा रिपुदमन सिंह चम्बल डाल परियोजना क्या अपनी क्षमतानुसार रबी एवं खरीफ की फसलों में रोस्टर के अनुसार सिंचाई हेतु पानी दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत परियोजना की सिंचन क्षमता रबी में 300 क्यूसेक तथा खरीफ में 450 क्यूसेक निर्धारित है। रबी में विद्युत उपलब्धता की स्थिति में यह परियोजना अपनी क्षमता के अनुसार सिंचाई हेतु पानी दे सकती है, परन्तु खरीफ में यह परियोजना अपनी क्षमता के अनुसार 450 क्यूसेक पानी नहीं दे सकती है। परियोजना पर लगे पम्पों में यांत्रिक दोष एवं धनाभाव के कारण नहरों के समुचित रख-रखाव न हो पाने के कारण पूर्ण क्षमता से पानी देना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यालय अधीक्षक का कार्य वरिष्ठ सहायकों से लिये जाने की जानकारी

37- श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यालय अधीक्षक की नियुक्ति न होने के कारण वहां पर कार्यरत वरिष्ठ लिपिकों से "कार्यालय अधीक्षक" का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन वरिष्ठ सहायकों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन दृष्टिगत रखते हुये कार्यालय अधीक्षक का वेतनमान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। जिन महाविद्यालयों में कार्यालय अधीक्षक के पद सृजित नहीं हैं वहां पर वरिष्ठ लिपिकों से कार्यालय अधीक्षक का कार्य लिया जा रहा है।

जी नहीं।

कार्यालय अधीक्षक का पद सृजित नहीं है।

जनपद मथुरा के किशोरी रमण व अन्य महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के वेतन भुगतान का प्रकरण

38-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद के किशोरी रमण महिला (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, आर0 सी0 ए0 महाविद्यालय एवं आई0 ओ0 पी0 महाविद्यालय के प्रवक्ताओं का माह नवम्बर, 2001 से फरवरी, 2002 तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवधि के लम्बित वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2001-02 में प्रश्नगत महाविद्यालयों के सम्बन्धित शिक्षकों के पद आयोजनागत मद में थे और उक्त मद में अनुदान की कमी के कारण वेतन भुगतान नहीं हो पाया।

शीघ्र।

जनपद हरदोई के बी0 एन0 इण्टर कालेज, भगवन्तनगर के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

39-श्री लल्लू सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि बी0एन0 इण्टर कालेज भगवन्तनगर, जनपद हरदोई के प्रधानाचार्य ने शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन के मद के अवशेष धनराशि रु0 263689.00 का भुगतान किये जाने हेतु दिनांक 19.12.02 को कोई पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

माह नवम्बर 2003 में प्रश्नगत विद्यालय के अवशेष वेतन सम्बन्धि रु0 263692/- के देयक जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई को प्राप्त हुये हैं।

रु0 82,559/- के देयक प्री आडिट हेतु शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को तथा रु0 181133/- के देयक जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई द्वारा उप शिक्षा, निदेशक, पष्ठ मंडल लखनऊ को उपलब्ध कराये गये हैं। जिसमें से रु0 5697/- की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग अध्यापक/अध्यापिकाओं को उनके मूल निवास से निकट पाठशालाओं में किये जाने की मांग।

40- श्री अबदुल मन्नान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में कितने विकलांग अध्यापक/अध्यापिकाएं कार्यरत हैं ? क्या उन अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां करते समय उनके मूल निवास से निकटवर्ती पाठशालाओं में नियुक्त किये जाने हेतु कोई नियमों में व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी विकलांगता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी नियुक्ति उनके मूल निवास के निकटवर्ती सड़क से लगे पाठशालाओं में किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी में 19 एवं जूनियर हाई स्कूल में 86 विकलांग अध्यापक/अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तो के अन्तर्गत कोई प्राविधान नहीं हैं।

श्री वीरभद्र दीक्षित याची को नियमित मिस्त्री पद का वेतन दिये जाने की मांग

41- श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी मा0 सर्वोच्च न्यायालय के सि0 अपील संख्या 6414/89 के सम्बन्ध में दि0 18.3.99 को पारित आदेशों के अनुपालन में क्या याची को दिनांक 22.5.74 से नियमित मिस्त्री पद का वेतनमान निर्धारित करके बकाये वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। नियमित मिस्त्री पद के बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि याची श्री वीरभद्र दीक्षित को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन सं0-6414/89 के निर्णय दिनांक 18.3.1999 में नियमित मिस्त्री पद का वेतनमान दिये जाने के आदेश नहीं दिये गये हैं, बल्कि उक्त निर्णय में दिनांक 1.6.74 से कार्यप्रभारित मिस्त्री के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी अधिशासी अभियन्ता के आदेश दिनांक 5.6.87 को बहाल मानते हुए तदनुसार वेतन भुगतान के आशय के आदेश निहित हैं जिसकी अनुपालना में कार्यप्रभारित मिस्त्री के पद से सम्बन्धित बकाये वेतन का भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-सुल्तानपुर में शारदा सहायक खण्ड के ठेकेदार के भुगतान का प्रकरण

42- श्री संजीव दरियाबादी -

क्या सिंचाई मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि श्री दिनेश कुमार बरनवाल ठेकेदार जनपद सुल्तानपुर द्वारा वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में अनुबन्ध संख्या-24 से मु0-42,000/- एवं अनुबन्ध संख्या-30 से 48,000/- का निर्माण कार्य शारदा सहायक खण्ड-16 जनपद सुल्तानपुर में कराया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री बरनवाल को भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत अनुबन्धों के माध्यम से वर्ष 94-95 में कार्य नहीं कराया गया था। श्री दिनेश कुमार बरनवाल ठेकेदार द्वारा वर्ष 95-96 में कूरेभार राजवाहा, जनपद सुल्तानपुर में किमी0 33.00 से 38.200 तक सिल्ट सफाई का कार्य अनुबन्ध सं0-24/सअ-111/95-96 दिनांक 16-11-95 के द्वारा रुपया 42,469.00 का तथा किमी0 33.500 से 35.500 तक मिट्टी का कार्य अनुबन्ध संख्या-30/सअ-111/95-96 दिनांक 16-11-95 के द्वारा रुपया 49,847.00 मात्र का कराया गया था।

जी नहीं।

धनाभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

धन की व्यवस्था होने पर।

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों को धारा 9(4) के अन्तर्गत मान्यता दिये जाने विषयक जानकारी

43- श्री रामकरन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों धारा-9-(4) के तहत मान्यता दिये जाने विषयक कितनी पत्रावलियां 31-1-2005 तक सचिव, माध्यमि शिक्षा, उ0 प्र0 शासन लखनऊ के यहां अनुमोदन हेतु लम्बित पड़ी हैं ? उक्त पत्रावलियां लम्बित रख के कारणों की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

तत्कालीन सचिव, माध्यमिक शिक्षा का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत स्थिति स्पष्ट किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के दूबेपुर व कुडवार के विद्यालयों में स्वीकृत कक्षों के निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

44-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर वि0 खं0 दुबेपु वि0 खं0 कुडवार एवं नगर क्षेत्र स्थित कितने प्राथमिक एवं जू0 हा0 स्कूल विद्यालयों में अतिरिक्त क

स्वीकृत हुये हैं ? स्वीकृत कक्षों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर में प्राथमिक विद्यालयों में 11 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 09 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत हुए हैं।

विकास खण्ड कुडवार में प्राथमिक विद्यालयों में 27 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 एवं नगर क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालयों में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत हुए हैं।

स्वीकृत कक्षों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सुल्तानपुर के कुडवार स्थित प्राथमिक विद्यालय ओदहा के जर्जर भवन को बनाये जाने हेतु धन की मांग

5-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर वि0खं0 कुडवार स्थित प्राथमिक विद्यालय ओदहा का भवन जर्जर होने के कारण बच्चे बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रा0 वि0 ओदहा को नवीन भवन बनाये जाने हेतु धन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

वर्ष 2005-06 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्तावित हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र धन स्वीकृत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ में खराब पड़े सरकारी नलकूपों को ठीक कराने की मांग

46-श्री राम नरेश यादव-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने सरकारी नलकूप लगे हैं ? जनपद आजमगढ़ में कितने सरकारी नलकूप लगे हैं ? उसमें से कितने राजकीय नलकूप काम कर रहे हैं और कितने खराब पड़े हैं ? खराब पड़े नलकूपों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 2005-2006 में कितने राजकीय नलकूप लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

उत्तर प्रदेश में दिनांक 1-4-2004 को कुल 28,132 सरकारी नलकूप चलित हैं।

जनपद आजमगढ़ में कुल 499 निर्मित राजकीय नलकूप हैं जिसमें 398 चलित नलकूप हैं। शेष 101 स्थाई रूप से बन्द परित्यक्त नलकूप हैं। चलित नलकूपों में से 19 नलकूप अस्थाई रूप से बन्द थे जिन्हें दिनांक 27-2-2005 तक दोषमुक्त कर चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2005-06 में 5 नये राजकीय नलकूप लगाया जाना विचाराधीन हैं।

जनपद गाजीपुर स्थित डा0 एम0 ए0 अन्सारी इण्टर कालेज, यूसुफपुर के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के भविष्य निधि की धनराशि गबन कर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

47-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर में स्थित डा0 एम0 ए0 अन्सारी इन्टर कालेज, यूसुफपुर के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि गबन कर लिये जाने के सम्बन्ध में सांसद श्री अफजाल अन्सारी का पत्र दिनांक 6-12-04 के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की प्रति सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत विषय पर मा0 सदस्य लोक सभा का पत्र दिनांक 9-11-04 मेरे कार्यालय को दिनांक 6-12-04 को प्राप्त हुआ।

शिक्षा निदेशक, माध्यमिक से आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय श्री हरी सिंह राणा, चपरासी के अवशेष देयकों व पारिवारिक पेंशन, नौकरी देने सम्बन्धी जानकारी

48-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री हरी सिंह राणा, चपरासी, सम्बद्ध सहायक अभियन्ता षष्ठम्, लखनऊ खण्ड-2 शारदा नहर, लखनऊ की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 21-11-94 को हुई थी ? क्या उनकी पत्नी श्रीमती नीमा देवी राणा को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दे दी गयी है ? क्या उनके अवशेष देयकों का भुगतान कर दिया गया है तथा पारिवारिक पेन्शन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

स्व0 श्री हरी सिंह राणा, मेट की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 19/20-11-94 को हुई थी।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-गाजीपुर के तमलपुरा स्थित सरकारी ट्यूबवेल के सम्बन्ध में जानकारी

49-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के वि0 खं0 मुहम्मदाबाद के ग्राम तमलपुरा स्थित सरकारी ट्यूबवेल कई माह से खराब है तथा चालक विहीन है ? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवेल को कब तक ठीक कराकर चालू करा दिया जायेगा तथा चालक की तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं

जी नहीं। नलकूपों के संचालन का दायित्व पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (बहुउद्देशीय कर्मी) का है तथा इस नलकूप पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पदस्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला फर्रुखाबाद के स्वामी दीनबन्धु इण्टर कालेज सिरौली में पद सृजन की जानकारी

50-श्री नरेन्द्र सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी दीनबन्धु इण्टर कालेज, सिरौली, जिला फर्रुखाबाद में इण्टर की मान्यता की स्वीकृति प्राप्त होने पर पद सृजन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा सभी आवश्यक पत्रों सहित संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर को दिनांक 11-4-2001 को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शिक्षा निदेशालय के पत्र पृ0 सं0 सा0(1)शि0वाद/1809-22/2000-01 दि0 29-5-2001 द्वारा निम्न निर्णय जारी किया गया :--

स्वामी दीनबन्धु हायर सेकेन्ड्री स्कूल सिरौली, फर्रुखाबाद में इण्टरमीडिएट स्तर पर कोई पद सृजन न होने के कारण याचीगणों को वेतन अनुमन्यता प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है तथा दि0 14-10-1986 से पद सृजन प्रतिबन्धित होने के कारण सम्प्रति पद सृजन की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर के सिल्ट सफाई में किये गये धन के दुरुपयोग की जानकारी

51-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शाहजहांपुर में सिल्ट सफाई दि0 1-4-2003 से 1-2-05 तक सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

52-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सिंचाई कार्यशाला गोरखपुर में कार्यरत आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र धारकों के वेतन की जानकारी

53-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कार्यशाला खण्ड गोरखपुर में कार्यरत आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र धारक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन आदि कर्मचारियों को 775-1050 का वेतनमान दिया जा रहा है ? क्या इसी विभाग में इन्हीं पदों पर कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को 825-1200 का वेतनमान दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा किन नियमों के तहत किया जा रहा है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर में औद्योगिक अधिष्ठान के अन्तर्गत आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र धारक 18 श्रमिकों को रु0 775-1025 (पुनरीक्षित वेतनमान रु0 2610-3540) का वेतनमान दिया जा रहा है।

जी हां। उक्त का पुनरीक्षित वेतनमान रु0 2750-4400 है।

औद्योगिक अधिष्ठान तथा कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों का संवर्ग पृथक-पृथक है।

जनपद-प्रतापगढ़, ग्राम कबीरपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के निर्माण की जानकारी

54-श्री लाल बहादुर यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के तहसील पट्टी में ग्राम कबीरपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम कबीरपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निर्माण न करा कर ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दूसरे राजस्व ग्राम विक्रम पट्टी में कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 21-11-03 में ग्राम कबीरपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किया गया था, किन्तु दिनांक 6-9-04 की बैठक में जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय कबीरपुर का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत कबीरपुर के राजस्व ग्राम विक्रम पट्टी में किया गया।

जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 6-9-04 में लिये गये निर्णय के अनुसार राजस्व ग्राम विक्रम पट्टी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निर्माण प्रारम्भ कराया गया था, जो वर्तमान में रुका हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम परिवर्तन सक्षम समिति से अनुमोदन के उपरान्त हुआ है।

जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड महोली, ऐलिया तथा हरगांव में स्वीकृत विद्यालय भवनों के निर्माण की जानकारी

55-श्री रामहेत भारती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद- सीतापुर के विकास खण्ड महोली, ऐलिया तथा हरगांव में कितने जू0 हाई स्कूल तथा प्राथमिक विद्यालयों के भवन किन-किन गांवों में स्वीकृत

ई ? क्या स्वीकृत विद्यालय भवनों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री किरन पाल सिंह-

वर्ष 2004-05 में जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली, ऐलिया तथा हरगांव के निम्नलिखित ग्रामों में स्वीकृत किये गये हैं :--

विकास खण्ड	प्राथ0 विद्यालय हेतु चयनित ग्राम का नाम	उच्च प्राथ0 विद्यालय हेतु चयनित ग्राम का नाम
1	2	3
महोली	1-गंगापुर	1-बसबई 2-नरनी
ऐलिया	1-पिपलीकलां 2-नटौरा 3-बिलरिया पडरखा 4-गंगेई 5-हरदीनपुर 6-मुस्तफाबाद-2	
हरगांव	कोई नवीन विद्यालय भवन स्वीकृत नहीं किया गया है।	

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

नपद-सीतापुर में वर्ष 2004 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन की धनराशि वितरित होने सम्बन्धी विवरण

-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 2004 में सभी पात्र इण्टरमीडिएट ीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन की धनराशि वितरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण ा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव-

जी हां, 386 बालिकाओं के लिये रु0 77.20 लाख की धनराशि जनपद सीतापुर के लिये वंटित थी, सत्यापन के उपरान्त पात्र 149 बालिकाओं को रु0 29.80 लाख की धनराशि वितरित दी गयी हैं शेष का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद धनराशि वितरित की जायेगी। ापन के पश्चात पात्र 149 छात्राओं को धनराशि वितरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के सनातन धर्म इण्टर कालेज के अध्यापकों के बकाये वेतन का भुगतान

57-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सनातन धर्म इण्टर कालेज वाराणसी से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के अध्यापकों को अनुमोदित मानते हुये दिनांक 19-8-99 से उनके बकाये वेतन का भुगतान किये जाने हेतु सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा (6) अनुभाग द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0 प्र0 को निर्देशित करने के उपरान्त भी अभी तक प्रश्नगत विद्यालय के प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत अध्यापकों को बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो बकाये वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय के प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत अध्यापकों के बकाये वेतन का भुगतान हेतु बजट के अभाव में धनावंटन नहीं हो सका है।

शिक्षा निदेशक (मा0) के पत्रांक अर्थ(2)साख-सीमा लेखा/13607-610/04-05, दिनांक 24-2-2005 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या : 523/79-6-05-7(4)/2004, दिनांक 10 मार्च, 2005 द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कर दी गयी हैं।

प्रदेश में भारतीय आंग्ल विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइमरी/जू0हा0 स्कूल विद्यालयों के अध्यापकों को मानदेय/वेतन देने की सरकार की योजना की जानकारी

58-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भारतीय आंग्ल विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों (अंग्रेजी माध्यम) की संख्या कितनी-कितनी है ? क्या सरकार इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों की तरह मानदेय/वेतन देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

प्रदेश में आंग्ल भारतीय विद्यालय/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइमरी विद्यालयों की संख्या 87 व जूनियर हाईस्कूलों की संख्या-136 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भारतीय आंग्ल विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइमरी व जू0 हा0 स्कूल विद्यालयों के अध्यापकों को मानदेय/वेतन देने की प्रदेश सरकार की कोई योजना नहीं है।

जनपद मऊ में पालिटेक्निक कालेज खोले जाने की मांग

59-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-2-04 जो जनपद मऊ में पालिटेक्निक कालेज खोले जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद मऊ में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने विषयक मा0 विधायक का पत्र दिनांक 11-2-04 प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्या-610/97/प्रा0शि0 3-13(बी)/96, दिनांक 25-2-97 द्वारा जनपद मऊ में राजकीय पालीटेक्निक खोले जाने सम्बन्धी निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है। संस्था के भवन निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात आशुलिपिकों के स्थानान्तरण की जानकारी

60-डॉ0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात आशुलिपिकों की स्थानान्तरण नीति क्या है तथा कितने आशुलिपिक क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात आशुलिपिकों का स्थानान्तरण अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

आशुलिपिकों की पृथक से कोई स्थानान्तरण नीति नहीं है तथा वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2004-05 के विरुद्ध कोई आशुलिपिक तैनात नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद में कार्यरत विषय विशेषज्ञों के लिये अवमुक्त किये गये धन की जानकारी

61-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने आदेश संख्या नियोजन/ 3665-3857/04-05 दिनांक 3 जुलाई, 2004 के द्वारा विषय विशेषज्ञों के भुगतान हेतु धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या गोरखपुर जनपद में कार्यरत विषय विशेषज्ञों के लिये कोई धन अवमुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

गोरखपुर जनपद में कार्यरत विषय विशेषज्ञों के लिये रु0 7.50 लाख अवमुक्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के जयनाथ मानव इण्टर कालेज बैजलपुर में कार्यरत अध्यापक श्री प्रमोद कुमार सिंह आदि के वेतन भुगतान की मांग

62-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के जयनाथ मानव इण्टर कालेज बैजलपुर में कार्यरत अध्यापक श्री प्रमोद कुमार सिंह आदि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शिक्षा अनुभाग-12 का पत्र सं0-मंत्री 146/15-12-03-1600/632/2003, दिनांक 3-9-2003 जिला

विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ को प्रेषित तथा शिक्षा निदेशक (मा0) को पृष्ठांकित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त हुई है। सम्प्रति प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-बाराबंकी के फ0 ज0 इ0 कालेज सफदरगंज के प्रवक्ताओं के अवशेष वेतन भुगतान की मांग

63-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ0 ज0 इ0 कालेज सफदरगंज, बाराबंकी के प्रवक्ताओं की सेवाओं के सततीकरण चयन वेतनमान के पुनर्निर्धारण एवं अवशेष वेतन भुगतान के सम्बन्ध में उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रान्तीय संयुक्त मंत्री श्री भगवान शंकर त्रिवेदी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 9-5-2000 तथा 28-7-2001 जो कि शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश को भेजा गया था प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के कार्यालय पत्रांक 22110/04-05 दिनांक 11-3-05 द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को प्रस्ताव भेजा गया है।

लखनऊ के सोहन लाल बालिका इण्टर कालेज में प्रधान अध्यापिका/अध्यापिकाओं के पद सृजन की मांग

64-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सोहन लाल बालिका इण्टर कालेज, लखनऊ में प्रधान अध्यापिका/अध्यापिकाओं के पद सृजन के सम्बन्ध में प्रबन्धक, सोहन लाल बालिका इण्टर कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ का पत्र संख्या-874/2003-04, दिनांक 19-1-2004 माह जनवरी से माह मार्च, 2004 के मध्य जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के स्तर पर परीक्षणाधीन है।

जनपद-उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम रूपऊ के स्कूल भवन का निर्माण व कार्यरत अध्यापकों की जानकारी

65-चौ0 मस्तराम एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम रूपऊ में वर्ष 2003-2004 में जूनियर हाईस्कूल खोला गया है ? यदि हां, तो उसमें कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या उक्त स्कूल का भवन बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त स्कूल के भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

02 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

निर्माण कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

जनपद-बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय, देवखरिया, विकास खण्ड फतेहपुर में कार्यरत श्री राम प्रकाश की मृत्यु के उपरान्त उनके देयकों के भुगतान की जानकारी

66-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय, देवखरिया, विकास खण्ड-फतेहपुर में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री राम प्रकाश निवासी-धौसार पुरवा, विकास खण्ड-फतेहपुर, बाराबंकी का आकस्मिक निधन दिनांक 24-4-1996 को होने के उपरान्त उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती ज्ञानवती देवी को उनके पति के बीमा धन का भुगतान हेतु आपके आदेश संख्या 2199/बे0शि0 मंत्री/2003, दिनांक 29-09-2003 बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

लाभग्राही द्वारा वारिस/नामांकन प्रमाण उपलब्ध न कराये जाने के कारण है।

जिला-बाराबंकी के जूनियर हाई स्कूल, त्रिवेदीगंज के सहायक अध्यापक श्री सुन्दर लाल की मृत्यु के उपरान्त उनके समस्त देयकों के भुगतान की जानकारी

67-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुन्दर लाल सहायक अध्यापक तेजवापुर, जूनियर हाई स्कूल, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 09 मई, 2004 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके मृतक आश्रित परिवार को उनके समस्त देयों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि मृतक आश्रित के रूप में उनके पुत्र श्री अमरेश कुमार शर्मा की नियुक्ति सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, भीलवल, बाराबंकी में दिनांक 1-10-2004 को की गई थी, परन्तु नियुक्ति से अब तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

बीमा धनराशि को छोड़कर अन्य सभी देयों का भुगतान किया जा चुका है।

संबंधित द्वारा बीमा क्लेम प्रस्तुत न किए जाने के कारण।

जी हां।

समस्त भुगतान किया जा चुका है।

बाण सागर परियोजना का लक्ष्य व व्यय किये गये धन की जानकारी

68-श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाण सागर परियोजना कब प्रारम्भ की गयी थी और कब पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है ? इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ? इस परियोजना से प्रदेश में कितने एकड़ सिंचाई होने का अनुमान है तथा इससे कौन-कौन जिले लाभान्वित होंगे ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

बाणसागर नहर परियोजना का कार्य वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ हुआ था तथा इसे वर्ष 2006-07 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

इस परियोजना पर रु0 969.74 करोड़ व्यय का अनुमान है। इस परियोजना से प्रदेश में 1,50,132 हेक्टेयर अतिरिक्त सींच प्रस्तावित है। इससे इलाहाबाद और मिर्जापुर जनपद लाभान्वित होंगे।

जनपद-मिर्जापुर के मेजा डेम से इलाहाबाद के जिले की फसलों की सिंचाई व उसकी प्रशासनिक इकाई को इलाहाबाद में स्थानान्तरित करने की मांग

69-श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मेजा डेम, जनपद मिर्जापुर के पानी से इलाहाबाद जिले की फसलों की सिंचाई की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रशासनिक इकाई को जनपद मिर्जापुर से इलाहाबाद में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

शासन स्तर पर सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

70-श्री अनिल कुमार वर्मा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद-बाराबंकी के फ0 ज0 इण्टर कालेज सफदरगंज के प्रवक्ता श्री अवधेश कुमार वर्मा की सेवाओं के सततीकरण करने की मांग

71-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवधेश कुमार वर्मा प्रवक्ता भौतिक विज्ञान फ0 ज0 इण्टर कालेज, सफदरगंज, बाराबंकी द्वारा वर्ष 1987 में दायर याचिका सं0 1725 अपील सं0 2134 वर्ष 1988 पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपने आदेश दिनांक 11-7-88 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए श्री वर्मा की सेवाओं के सततीकरण करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या मा0 सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का पालन सुनिश्चित कर श्री वर्मा की सेवाओं का सततीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11-7-88 को इस आशय का आदेश पारित किया है कि अयोध्या प्रसाद पाण्डेय, जिन्हें कार्यभार ग्रहण करना था, ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, और कार्यभार ग्रहण करने की अवधि समाप्त हो गयी है, इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट अवधेश कुमार वर्मा प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) के पद पर कान्टीन्यू रहेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-7-88 के अनुपालन में अपीलाण्ट श्री अवधेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) के पद पर दिनांक 23-7-88 से कार्यरत होकर वेतनादि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, तथा नियमानुसार इनको उप शिक्षा निदेशक (मा0), एवं अध्यक्ष, सम्भागीय चयन समिति फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के पत्र दिनांक 16-5-96 द्वारा विनियमित किया जा चुका है। तद्नुसार यह प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) के पद पर कार्यरत हैं।

श्री अवधेश कुमार वर्मा दिनांक 30-6-86 से 22-7-88 तक विद्यालय में प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) के पद पर कार्यरत नहीं थे। इसी कारण उन्हें इस अवधि का देय, वेतनादि का भुगतान नहीं हो सका है। विलम्ब के प्रकरण में शिक्षा निदेशक (मा0) को जांच कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद-बाराबंकी के प्राइमरी पाठशाला चौरवरिया के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री शिवनारायण द्विवेदी के प्रशिक्षित कार्यकाल को सेवा में जोड़ कर पेंशन निर्धारित करने की मांग

72-श्री बाबूलाल कुशवाहा-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित प्र0 सं0-62 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक की सेवाओं में किस तिथि से किस तिथि तक व्यवधान रहा और वह किस कारण से ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित अध्यापक को विभाग द्वारा प्रशिक्षण पर भेजा गया था और प्रशिक्षण के उपरान्त इनकी पुनः नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या अप्रशिक्षित अवधि को वेतन में जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अप्रशिक्षित अवधि को पेंशन में जोड़कर तदनुसार पेंशन भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

दिनांक 10-8-71 से 15-12-72 तक सेवा का व्यवधान रहा। किन्तु सेवा अभिलेखों में व्यवधान का कारण अंकित नहीं है।

विभाग द्वारा प्रशिक्षण में भेजे जाने का उल्लेख सेवा अभिलेखों में नहीं है। प्रशिक्षण के उपरान्त दिनांक 14-12-72 को नियुक्ति की गई।

जी नहीं, राजाज्ञा संख्या-4-136/15-5-5-348/77, दिनांक 23-3-1985 के अनुसार अप्रशिक्षित काल एवं प्रशिक्षण काल में व्यवधान होने के कारण अप्रशिक्षित अवधि को जोड़ते हुये पेंशन निर्धारण किया जाना नियमानुसार नहीं है।

जी नहीं, उपरोक्तानुसार।

जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम-जरावन से भानपुर तक के गन्दे नाले की सफाई कराने की मांग

73-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम जरावन से भानपुर तक गन्दे नाले की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में वहां के निवासीगणों के प्रार्थना-पत्र सहित

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-3/264357 दिनांक 13 जनवरी, 2005 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सिद्धार्थनगर में परासी नाला का नहरीकरण सरयू नहर के ड्रेनेज विभाग द्वारा कराने के सम्बन्ध में जानकारी

74-श्री जयप्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में परासी नाला का नहरीकरण सरयू नहर के ड्रेनेज विभाग द्वारा कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 42-44/04-05, दिनांक 15-12-2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

सरयू नहर ड्रेनेज खण्ड-2, बस्ती द्वारा सिद्धार्थनगर में परासी नाला एवं अन्य ड्रेनों के नहरीकरण की योजना ड्रेनेज मास्टर प्लान के रूप में तैयार की गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। इन योजनाओं को परीक्षण एवं स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार टेण्डर आमंत्रित कर ड्रेनों पर कार्य सम्पादित कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद-सुल्तानपुर, ग्रा0 वजूपुर निवासी श्री मुख्तार अहमद आदि के शारदा सहायक खण्ड-16 पर किये गये कार्यों के भुगतान की जानकारी

75-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुख्तार अहमद निवासी ग्राम वजूपुर, जनपद सुल्तानपुर द्वारा वर्ष (94-95) में अनुबन्ध सं0-25 से 48700/- व मकसूद अहमद निवासी वजूपुर, जनपद सुल्तानपुर द्वारा वर्क आर्डर नं0-32 तथा 261 से 7197 एवं वर्क आर्डर नं0-29/261 से 6046/- वर्ष (96-97) कुल 13243/- का शारदा सहायक खण्ड-16 जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत निर्माण का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत अनुबन्धों के माध्यम से वर्ष 94-95 में कार्य नहीं कराया गया था। श्री मुख्तार अहमद ठेकेदार द्वारा वर्ष 95-96 में कूरेभार राजबाहा जनपद सुल्तानपुर में किमी0 55.588 से 57.588 तक बैंक सुदृढ़ीकरण व सर्विस रोड की मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य अनुबन्ध संख्या 25/सअ-111/95-96 दिनांक 16-11-95 के द्वारा रुपया 49,470/- का कराया गया था तथा श्री मकसूद अहमद ठेकेदार द्वारा बूआपुर माइनर किमी0 0.000 से 0.400 तथा भिदूरा माइनर के किमी0 1.00 से 2.00 तक सिल्ट सफाई का कार्य अनुबन्ध संख्या-32/261 दिनांक 13-2-97 के

द्वारा रुपया 7,484.00 का तथा चोरगा माइनर के किमी0 0.300 से 0.500 एवं सवई माइनर के कि0मी0 0.00 से 0.300 तक सिल्ट सफाई का कार्य वर्क आर्डर संख्या-29/261 दिनांक 13-2-97 के द्वारा रुपया 6,166,00 मात्र का कराया गया था।

जी नहीं।

धनाभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

जनपद-बलिया के श्रीनगर बन्धे से सटे ग्रामों एवं मकानों को बाढ़ से बचाने की मांग

76-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बलिया के ग्राम-तुर्तीपार-हल्दी, डुहां बिहरा, डुहां कठौड़ा, तिलकर नवकागांव, मनियर टुकड़ा नं0-2 चक्कीदीयर रिगवन खेती पर्नतपुर तथा अन्य सैकड़ों ग्राम तुर्तीपार श्री नगर बन्धे से सटे बसे होने के कारण कटान से प्रभावित हो रही है एवं बहुत सारे मकान नदी में समाहित हो गये हैं ? क्या सरकार इन ग्रामों एवं बन्धों को बचाने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

बंधे एवं नदी के बीच बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बसे ग्रामों एवं कृषि योग्य भूमि को नदी की बाढ़ से सुरक्षा किये जाने की शासन की नीति नहीं है, अतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बसे प्रश्नगत ग्रामों को बचाने की कोई योजना नहीं है। बन्धों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने की 07 योजनायें स्वीकृत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया के छावा-बैरिया में स्वीकृत राजकीय कन्या विद्यालय भवन निर्माण की जानकारी

77-श्री भरत सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि विधान सभा क्षेत्र छावा, जनपद-बलिया के बैरिया में स्वीकृत राजकीय कन्या विद्यालय हेतु जमीन अधिग्रहण एवं भवन निर्माण कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बस्ती के किसानों की भूमि की दर निर्धारित कर मुआवजे का भुगतान कराने की मांग

78-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल में नहरों की खुदाई हेतु आठ जिलों का चयन किया गया था ? क्या यह सही है कि किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजा हेतु सात जिलों में दर निर्धारित कर भुगतान कर दिया गया है ? क्या जनपद-बस्ती के किसानों की भूमि की दर निर्धारित कर भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद-बस्ती के किसानों की भूमि की दर निर्धारित कर भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

सम्बन्धित सात जिलों में भूमि के मुआवजे की दरें निर्धारित हो गयी हैं। सम्बन्धित किसानों को भूमि के मुआवजे का भुगतान करके रजिस्ट्री करायी जा रही है।

जनपद बस्ती के कुछ किसानों की भूमि के मुआवजे की दर आपसी समझौते के आधार पर निर्धारित करके उपलब्ध धन के सापेक्ष उन्हें भूमि का मुआवजा देकर रजिस्ट्री करायी जा रही है।

धनाभाव एवं अन्य कारणों से बस्ती जनपद के सभी कृषकों को भूमि का मुआवजा अभी वितरित करना सम्भव नहीं हो पाया है। धन उपलब्ध हो जाने पर नियमानुसार मुआवजे के भगुतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

जनपद-लखनऊ के ग्राम-बरबलिया में सई नदी से सिंचाई व्यवस्था की जानकारी

79-श्री कौशल किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरबलिया, जनपद-लखनऊ में सई नदी से सिंचाई हेतु लिफ्ट पम्प लगा है जो गत कई वर्षों से बन्द है, जिससे किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। ग्राम बरबलिया, जनपद लखनऊ में सई नदी पर स्थित बरौलिया लघु डाल नहर चालू हालत में है। इससे वर्तमान रबी फसल में दिनांक 25 फरवरी, 2005 तक 56 हेक्टेयर की सिंचाई हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जालौन के कालपी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कराने की मांग

80-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के नगर क्षेत्र कालपी 2004 में कितने भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण स्वीकृत हुआ है ? कितने विद्यालयों निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? क्या इन सभी स्वीकृत विद्यालयों का निर्माण कार्य जुलाई, 2005 तक पूरा करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

वर्ष 2004-05 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद जालौन के नगर क्षेत्र कालपी में 06 भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण स्वीकृत किये गये हैं।

03 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति में है। शेष 03 विद्यालयों हेतु सम्प्रति भूमि उपलब्ध नहीं है जिसके लिये प्रयास किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

03 विद्यालयों में भवन निर्माण जुलाई, 2005 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 03 विद्यालयों के लिये भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर यथाशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हरदोई के ग्राम-बेहटी में ड्रेन की सफाई एवं पुलिया निर्माण की मांग

81-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बेहटी, जनपद हरदोई का प्रार्थना-पत्र राज्य मंत्री प्रोटोकाल के उपरिपत्र संख्या-947 दिनांक 24-8-04 के साथ उक्त ग्राम में जल भराव होने के कारण ड्रेन की सफाई एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने हेतु उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत छुईया नाला जिसकी लम्बाई 46.200 कि0मी0 है, की सफाई तथा पुल के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर के ग्राम-पीतमपुर ग्रन्ट में जू0 हा0 स्कूल तथा प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण की जानकारी

82-श्री रामहेत भारती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड महौली के ग्राम पीतमपुर ग्रन्ट में जू0 हा0 स्कूल का भवन निर्माण तथा प्राथमिक विद्यालय का कक्ष निर्माण न कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-1-05 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या सी0 एम0 135/79-5-2005, दिनांक 21-2-05 द्वारा जांच के आदेश सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) लखनऊ को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-देवरिया के सर्वोदय इण्टर कालेज, बेलही, तरकुलवा के प्रधानाध्यापक द्वारा अभिभावक व विद्यार्थियों का उत्पीड़न करने का शिकायती-पत्र

83-श्री भगेलू राम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शिकायतकर्ता श्री राम अधारे का पत्रांक सं0 342/वि0स0/05, दिनांक 28-1-05, जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा को सम्बोधित है और जो श्री आद्या प्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक, सर्वोदय इण्टर कालेज, बेलही, तरकुलवा, जनपद-देवरिया द्वारा विद्यार्थियों व अभिभावकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

पत्र प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा के डाक बंगला की भूमि पर किये गये अनधिकृत कब्जे की जानकारी

84-श्री रामकरन आर्य-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा अन्तर्गत ग्राम सभा में उड़ीकला में सिंचाई विभाग के डाक बंगला की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर खेती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर के प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच की मांग

85-श्री रामकरन आर्य-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर के प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण/मरम्मत हेतु स्वीकृत रु0 73.41 लाख से कराये गये कार्य निम्न कोटि के होने के कारण उसकी जांच उच्च स्तरीय समिति से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया की आख्यानुसार जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में विगत 5 वर्षों में कराये गये विद्यालय भवन निर्माण की जांच हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की जा चुकी है, जिसमें अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नामित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव के खराब पड़े ट्यूबवेलों को ठीक कराकर चालू कराने की मांग

86-श्री कौशल किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के पुरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सरकारी ट्यूबवेल ब्लाक-असोहा के ग्राम दरेहटा में दो ट्यूबवेल, पहाड़पुर में एक, गोमामऊ में दो, बैलोरा में चार, चौपई में चार, सेमरी में एक, भौमऊ में दो, सरयाँ में तीन, जबरेला में पम्प कैनाल हाउस तथा ब्लाक हिलौली में ग्राम सन्दाना में एक, चन्दी खेड़ा में एक, हिलौली में एक, असरेन्दा में एक, लौऊबा में एक, चकसरिया में एक, बरौली में एक, पतौली में एक डिगरिया पम्प कैनाल हाउस के बन्द पड़े होने के कारण स्थानीय किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी ट्यूबवेलों को ठीक कराकर चालू कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। केवल ब्लाक असोहा के ग्राम सेमरी में स्थित नलकूप संख्या-23 पी0 जी0 तथा ब्लाक हिलौली के ग्राम सन्दाना में स्थित नलकूप संख्या-6 पी0 जी0 असफल होने के कारण बन्द हैं, जिनसे सिंचाई नहीं हो रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बुन्देलखण्ड के कालपी तथा माधौगढ़ क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

87-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राजकीय नलकूप की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में झांसी में प्रमुख सचिव, सिंचाई की समीक्षा बैठक दिनांक 12-10-04 में दिये गये सुझाव के अनुसार विशेषकर कालपी क्षेत्र में नलकूप स्थापना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कालपी तथा माधौगढ़ क्षेत्र में कितने राजकीय नलकूप लगाये जायेंगे ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

कालपी क्षेत्र में दो तथा माधवगढ़ क्षेत्र में एक नलकूप इसी वित्तीय वर्ष 2004-05 में लगाया जाना प्रस्तावित है जिसमें से कालपी क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

88-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं तथा इन्हें भरने हेतु सरकार की क्या योजना है ? क्या संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शासन ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के 363 पद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1631 पद रिक्त हैं। राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त प्रवक्ता पद पर लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 के माध्यम से और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था है। राजकीय महाविद्यालयों के 263 पदों एवं अशासकीय महाविद्यालयों के सभी 1631 पदों पर अधियाचन सम्बन्धित आयोगों को प्रेषित हैं।

जी हां, केवल राजकीय महाविद्यालयों के लिये।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत संविदा के आधार पर निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा साक्षात्कार एवं शैक्षणिक अभिलेखों के लिये निर्धारित किये गये अंकों के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 इलाहाबाद के प्रमाण-पत्रों में हुई त्रुटियों पर शासन से कार्यवाही की मांग

89-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वर्ष 2003 की परीक्षा से इण्टरमीडिएट के प्रमाण-पत्र में छात्र की फोटो लगाने का निर्णय लिया था ? क्या इस नयी व्यवस्था से प्रदेश के हजारों छात्रों के नाम तो थे, परन्तु फोटो किसी और की छपी थी, जिसके कारण प्रदेश के हजारों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस व्यवस्था को ठीक करने हेतु शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद जनपद में प्रमाण-पत्रों में कितनी त्रुटियां वर्ष 2003 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में पायी गयीं तथा कितने छात्रों ने इसे ठीक करने हेतु आवेदन किया तथा कितने में सही प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये ? क्या त्रुटि करने वालों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय की एम0 काम0 द्वितीय वर्ष की मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को अनुत्तीर्ण करने का प्रकरण

90-श्री जगदीश नारायण राय-

क्यां मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा सत्र, 2003-04 में कानपुर विश्वविद्यालय से एम0 काम0 द्वितीय वर्ष में कतिपय छात्रों की मौखिक परीक्षा दिनांक 19-6-2004 को स्वतंत्र डिग्री कालेज, आलमबाग, लखनऊ में सम्पन्न हुई थी ? क्या यह सही है कि उक्त मौखिक परीक्षा में अधिकतर छात्रों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त भी अनुपस्थित दिखाकर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो अनुपस्थिति के आधार पर कितने छात्र अनुत्तीर्ण दिखाये गये ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी शिक्षकों को दण्डित करते हुए अनुत्तीर्ण छात्रों को उन्हें प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की मौखिक परीक्षा दिनांक 17 व 19 जून, 2004 को स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कालेज आलमबाग, लखनऊ में सम्पन्न करायी गयी थी।

जी नहीं।

अनुपस्थिति के आधार पर केवल 14 छात्र अनुत्तीर्ण हुए।

जी नहीं।

कोई शिक्षक दोषी नहीं है। अनुपस्थिति के आधार पर अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करने का कोई प्राविधान नहीं है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचना ले रहा हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हमने नियम-311 में सूचना दी है, पहले उसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उसको निरस्त कर दिया है। मैंने आपसे बार-बार आग्रह किया था कि जब शून्य प्रहर आयेगा तब मैं सुन लूंगा लेकिन आप नहीं माने, मैंने इसको निरस्त कर दिया है।

(भाजपा के सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

आपको अधिकार है, आप जो चाहें निर्णय ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(भाजपा के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे। जिससे घोर व्यवधान बना रहा।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 को ले रहा हूं।

आज दिनांक 15 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री कैलाश चौरसिया की, दूसरी सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की, तीसरी सूचना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की, चौथी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की, पांचवीं सूचना, श्री प्रागी लाल अहिरवार की, छठी सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की, सातवीं सूचना, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की, आठवीं सूचना, श्री राम करन आर्य की, नौवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, दसवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की, ग्यारहवीं सूचना श्री कल्याण सिंह दोहरे का नाम पुकारे जाने पर (सदस्य अनुपस्थित थे), मैं बारहवीं सूचना ले रहा हूं, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर का नाम पुकारे जाने पर (सदस्य अनुपस्थित थे) अब मैं तेरहवीं सूचना ले रहा हूं श्री बैजनाथ दुबे की, चौदहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, पन्द्रहवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की स्वीकार की गयी। चूंकि ग्यारहवीं और बारहवीं सूचना पर सदस्य अनुपस्थित थे इसलिए प्रतीक्षा सूची से दोनों सूचनाएं-श्रीमती राजरानी रावत की और श्री रामनरेश यादव की, को ले लेते हैं। यह सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

वाह्य सहायतित परियोजना विभाग में उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना में हुए कथित घोटाले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश चौरसिया-

[महोदय, मैं आपका ध्यान महत्वपूर्ण विषय की तरफ करना चाहता हूं। वाह्य सहायतित परियोजना विभाग में उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

योजना विश्व बैंक की सहायता से 15 दिसम्बर, 2000 को प्रारम्भ की गयी थी जिसको दिसम्बर, 2005 में पूर्ण होना है। योजना की लागत 478.00 करोड़ रुपये है जिसमें विश्व बैंक का कर्ज 86 प्रतिशत तथा राज्यांश 14 प्रतिशत है जिसके तहत 28 जनपदों में 117 चिकित्सा इकाइयों का जीर्णोद्धार/निर्माण एवं चिकित्सा इकाइयों एवं चिकित्सकों/पैराकर्मियों की क्षमता वृद्धि करना तथा 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर त्वरित रिफरल सेवा हेतु एम्बुलेन्स उपलब्ध करायी गयी थी जिसके द्वारा आज तक एक भी रोगी को सेवा उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा नियत दिवसों के अन्तर्गत किसी भी सर्जन द्वारा आपरेशन/एक्सरे अन्य जांचें सी0एच0सी0 में नहीं हो पा रहा है केवल कागजों में कार्य किया जा रहा है तथा अनुपयोगी दवाओं की बड़े पैमाने पर खरीद की गयी है जो निष्प्रयोज्य है। 80 समाज सेवा संस्थाओं को धन का बन्दरबाट किया जा रहा है। फर्जी केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिसमें जांच के दौरान कई संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही भी हुई थी लेकिन कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ से वन टाइम रिपेयर के अन्तर्गत हाइटेक उपकरणों की मरम्मत निविदा में फेल फर्मों से कराकर लाखों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है तथा रोगियों को चिकित्सालयों में डी0पी0एम0, आर0पी0एम0 द्वारा बड़े पैमाने पर दवा, उपकरण मरम्मत एवं ग्रामीण अंचलों के रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के सेवा के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। परियोजना में नकारा तथा बेईमान अधिकारियों को बैठाया गया है, जिन्हें हटाया जाए तथा दिसम्बर, 2004 तक 4 वर्षों में मात्र 127.25 करोड़ व्यय किया गया है तथा 301.75 करोड़ का घोटाला करने की योजना एक वर्ष में बनायी जा रही है तथा अभी भी उत्तरांचल कैडर के अधिकारियों को रख कर कर्ज की धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है इसलिए जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिससे करोड़ों लोगों के जान-माल के साथ खिलवाड़ कर रहे अधिकारियों को दण्डित किया जा सके।

अतः निवेदन है कि उक्त यह महत्वपूर्ण विषय की जांच कराकर कार्यवाही कराने की कृपा करें।]

"कुटीर ज्योति योजना" के तहत किये गये विद्युत कनेक्शनों को बिना पूर्व सूचना के पूर्ण कनेक्शन के रूप में हजारों रुपयों की बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण-

[महोदय, विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि ग्राम टिकरा, ब्लाक-जटवल खेड़ा, तहसील-सदर, जिला-शाहजहांपुर के गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले निवासियों को 19 कनेक्शन उक्त योजना के अन्तर्गत 1989-90 में रु0 8.25 पैसे प्रतिमाह की दर से होता रहा था। वर्ष 1998 में आयी आंधी-तूफान के कारण विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी एवं खम्भे गिर गये जिसकी सूचना विभाग को दे दी गयी थी किन्तु विभाग द्वारा पूर्ण कनेक्शन के रूप में हजारों रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं।

अतः हम सभी "कुटीर ज्योति योजना" के केनक्शन धारक आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया मामले की पूर्ण जांच कराते हुए "कुटीर ज्योति योजना" के अन्तर्गत निर्धारित दर रु0 8.25 मात्र के हिसाब से विद्युत बिल को ठीक कराते हुए जमा कराये जाने हेतु आदेशित करने की अनुकम्पा करें।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः विधान सभा की कार्यवाही रोककर आते लोक महत्व अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय पर कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर में व्यापारी नेता की अल्प व्यवस्क पुत्री के अपहरण के मामले को सुलझाने में स्थानीय प्रशासन की असफलता के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, गोरखपुर में एक व्यापारी नेता श्री राजकुमार आल्हा की 16 वर्षीय पुत्री कु0 रिंकू गुप्ता का कोतवाली थाने के बगल से, साद अली पुत्र हाफिज, शकील पुत्र हाफिज अली, राजेश गुप्ता पुत्र अज्ञात तथा अन्य के द्वारा अपहण कर लिया गया। श्री राजकुमार आल्हा ने यह आशंका व्यक्त किया है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गयी है। पुलिस ने अपराध सं0-60/2005 धारा 363/366 भा0द0वि0 कोतवाली में दर्ज भी किया है। पुलिस अब तक उस बच्ची को खोजकर लाने में असफल रही है। दुःखद पक्ष यह है कि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी असफल रही है। पुलिस ने अब तक कोई कुर्की की कार्यवाही तक नहीं की। यहां तक कि नामजद अपराधी की नामजद बहनें भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं जबकि उनकी मां वहीं क्षेत्र में खुलेआम घूम रही हैं।

हमने सम्पूर्ण विषय को हमने स्वयं गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक सिन्हा के संज्ञान में दो बार दिया लेकिन अभी तक इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही न होने के कारण गोरखपुर में नागरिकों का धैर्य अब समाप्त हो रहा है। कल दिनांक 13 मार्च, 2005 को गोरखपुर के व्यापारियों तथा राजनैतिक/सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया गया। इस दौरान स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ एवं स्थानीय विधायक (मैं स्वयं) भी उपस्थित थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कोई संतोषजनक आश्वासन देने में असफल रहे हैं।

महोदय, नगर में तनाव बढ़ रहा है। स्थितियां, हम लोगों के द्वारा सकारात्मक सहयोग देने के बावजूद बिगड़ रही हैं तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है।

अतः आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियम-301 के तहत ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही आवश्यक है।]

जनपद-बहराइच में कतिपय आयुर्वेदिक अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय, जनपद बहराइच वर्ष 2002-03 में आयुर्वेदिक अस्पताल रिसिया, रमपुरवा, गण्डारा व बलई गांव के भवन निर्माण के लिए 31.20 लाख रुपया जिला योजना से स्वीकृत हुआ था परन्तु अब तक धन अवमुक्त न होने के कारण भवन निर्माण सम्भव नहीं हुआ है। इन स्थानों पर अपने भवन नहीं हैं जिसके कारण चिकित्सालय सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं, दवा के रख-रखाव की असुविधा, चिकित्सकों के लिए स्थान न होने से सही समय पर उपस्थिति प्रभावित हो रही है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिणामतः परपुरवा, गण्डारा जैसे नदियों से घिरे आबादी वाले क्षेत्र तथा बलई गांव जैसे जंगलों से घिरे क्षेत्र तथा रिसिया जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए दवा से वंचित हो रहे हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु धन अवमुक्त किये जाने हेतु मांग करता हूं।]

जल संस्थान मऊ रानीपुर जनपद झांसी की लापरवाही से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा मऊरानीपुर जल संस्थान की लापरवाही से शहर के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि-1-शहर में गंदा पानी आता है जिसके कारण टंकियों की सफाई न होना।

2-नगर में सभी जगह लाइन सही न होने के कारण पानी उपलब्ध न होना।

3-मऊरानीपुर जल संस्थान की टंकी पर कई हजार कुंटल लोहे के कटा जैसे कि पाइप लाइन आदि रखा हुआ था जिसको अधिकारी व जूनियर इंजीनियर, मऊरानीपुर ने अनाधिकृत रूप से उन्हें बेच दिया है जिससे जनता एवं विभाग व सरकार की क्षति हुई है। वर्तमान में कोई एस0डी0ओ0 और कोई जे0ई0 नहीं रहता है केवल एक ही जे0ई0 रहता है जो अपने मन से कार्य करता है।

अतः अनुरोध है कि इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए एवं स्वच्छ जल की उचित व्यवस्था की जाए।]

राज्य सरकार के लेखा परीक्षा विभागों के लेखा परीक्षा संवर्ग को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षा संवर्ग के समान वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[मान्यवर, जैसा कि वर्ष 1988 में राज्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर, जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया था एवं तद्नुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन दिया जा रहा है। क्या उक्त निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के लेखा परीक्षा विभागों के लेखा परीक्षा संवर्ग को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षा संवर्ग के समान वेतनमान दिये जाने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है अथवा कब तक निर्णय लिए जाने का विचार है ? अभी तक लेखा परीक्षा संवर्ग के कर्मचारियों को केन्द्र के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षा संवर्ग के समान वेतनमान न दिये जाने के कारण असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ पूर्व विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मोहल्लों में जल संस्थान द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि लखनऊ के दुर्विजयगंज, गणेशगंज आदि मोहल्लों में लखनऊ जल संस्थान के द्वारा आम जनता को घरों में पीने का जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें महीनों से गंदा, बदबूदार पीला पानी सप्लाई हो रहा है जिससे कि वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है तथा उनमें रोष व्याप्त है। इसकी सूचना वहां के सम्बन्धित अधिकारियों को भी दी गयी परन्तु उनके द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तदुपरान्त अब वहां पानी में छोटे-छोटे कीड़े एवं टैडपोल्स भी पानी के साथ आ रहे हैं। 12 मार्च, 2005 के सम्मानित समाचार-पत्र दैनिक जागरण के माध्यम से भी इस क्षेत्र की आम जनता की पीने के पानी की समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है परन्तु अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी है। उक्त प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, बहुत जल्द ही गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है जिससे यह स्थिति और भी भयावह हो जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि अविलम्बनीय एवं नागरिकों के जनस्वास्थ्य से सम्बन्धित इस अति लोक महत्व के विषय पर शासन द्वारा तत्काल स्वच्छ जलापूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत बंधे के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पूर्व बस्ती से 40 किमी0 की लम्बाई में घाघरा नदी बहती है। कलवारी से रामपुर एवं रामपुर से तेजपुर भेतहा बंधा निर्माण हुए करीब 8 साल हो गया है इस बंधे में तेजपुर भातहा रामपुर चरकैइया के गरीब किसानों की जमीन चली गई है बहुत से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पूरी जमीन ही चली गई है। मगर अभी तक उन्हें बंधे में गई हुई जमीन का मुआवजा सरकार द्वारा नहीं मिला है। इनके पास न जमीन रह गई है और न तो मुआवजा मिला, इससे रोजी रोटी का सहारा नहीं रहा है। इससे गरीब मजदूर किसान बहुत ही दुखी हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार पत्र के जरिये एवं मौखिक अधिकारियों से बात की मगर गरीब किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया जिससे इनमें रोष व्याप्त है और किसान भुखमरी के कगार पर हैं। यह जनहित का विषय है और गरीबों से जुड़ा है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाकर किसानों को मुआवजा दिये जाने एवं सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-शाहजहांपुर की पुवांया सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतन सम्बन्धी बकाया का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर जनपद की पुवांया सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में 17-2-2005 (रिट पिटीशन संख्या-6764/2005) में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था जिसका अनुपालन सरकार को करना है। वर्ष 2003-2004 का पुवांया चीनी मिल कर्मचारियों को बैठकीय भत्ता 11 माह बीस दिन का बनता है उसका भी भुगतान होना है। विगत तीन वर्षोंका बोनस बकाया है, उसका भी भुगतान होना है। वर्ष 2002-03 का कर्मचारियों का ओवर टाइम का भी भुगतान होना है।

उक्त मिल लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारियों के देयों का भुगतान जनहित में होना आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से उक्त वेतन सम्बन्धी बकाया भुगतान किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत तहसील तमकुहीराज में अग्निशमन गाड़ियों की संख्या बढ़ाते हुए अग्नि शमन दल गाड़ी और फ्लोट पम्प उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0 के0 राय-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र सेवरही तहसील तमकुही राज जिला कुशीनगर बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण ज्यादातर फूस के मकान हैं। यह क्षेत्र बड़ी गण्डक और बांसी नदी का प्रायः शिकार हुआ करती है। गर्मियों में गांव के गांव अग्नि से प्रभावित होते हैं। जनपद में मात्र एक बड़ी तथा एक छोटी गाड़ी अग्निशमन की है। इसलिए अग्निशमन का कार्य समय से हो पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

ऐसी स्थिति में शासन से अनुरोध है कि तहसील तमकुही राज में गाड़ियों की संख्या बढ़ाते हुए अग्निशमन दल गाड़ी और फ्लोट पम्प जनहित में उपलब्ध कराने के तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस लोक महत्वपूर्ण प्रश्न पर वक्तय की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत सेल्हरी मण्डप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सेल्हरी मण्डप से जिला मुख्यालय की दूरी अधिक होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी होती है। दूरस्थ एवं निर्जन स्थान होने के कारण कोई साधन जल्दी जिला मुख्यालय पर पहुंचने के लिये न होने के कारण मरीज अस्पताल जाने से पहले ही रास्ते में मर जाते हैं। काफी प्रयास के बाद सेल्हरी मण्डप में एक डाक्टर की नियुक्ति अनुबन्ध पर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुई हैं परन्तु बैठने का कोई स्थान नहीं है यदि सेल्हरी मण्डप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करा दी जाय, तो इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण हो जायेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को मा0 सदन के संज्ञान में लाते हुए सेल्हरी मण्डप में पी0 एच0 सी0 निर्माण हेतु चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

मेरठ महानगर में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वन विभाग द्वारा हरितमा संवर्धन योजना हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मेरठ महानगर में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वन विभाग द्वारा हरितमा संवर्धन योजना बनाई गई है।

उसके लिये वन निगम से 2003-2004 में धन की व्यवस्था होनी थी। 2004-2005 में यह व्यवस्था हो उसके लिये नियम-301 में सूचना दी गई जिसके उत्तर में शासन ने कहा कि जिला योजना से परिव्यय स्वीकृत होने पर कार्य हेतु धनराशि मिलेगी।

जिला योजना 2005-2006 में मेरठ में इस कार्य हेतु 60 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है।

अगले माह बजट स्वीकृतियां जारी होंगी। परिव्यय स्वीकृत हो चुका है।

अतएव मेरठ महानगर के पर्यावरण की सुधार की दृष्टि से हरितमा संवर्धन कार्यक्रम के अविलम्बनीय लोकमहत्व को देखते हुए 60 लाख रुपया अवमुक्त करने की कार्यवाही इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थित सात मंजिली राजकीय कालोनी की जीर्ण-शीर्ण 4 लिफ्टों के खराब रहने से मरीजों को लाने ले जाने में असुविधा के कारण उनके स्थान पर ओटिस कम्पनी की नई लिफ्टों के प्रतिस्थापन हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्यासागर गुप्ता-

[मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की सूचना सदन में देना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में 7 मंजिली राजकीय कालोनी वर्ष 1980 में बनायी गयी थी जिसमें दो इमारतें हैं और प्रत्येक इमारत में 7 फ्लोर हैं और प्रत्येक फ्लोर पर 4-4 फ्लैट हैं। उक्त राजकीय कालोनी में उसके निर्माण के समय जो 4 लिफ्टें लगाई गयी थीं वह आज लगभग 25 वर्ष के उपरान्त भी जीर्ण-शीर्ण हालत में लगी है और सुचारु रूप से बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं और अधिकतर खराब रहती है जिससे कालोनी के अध्यासियों को अत्यन्त कष्ट का सामना करना पड़ता है। अध्यासियों के बीमार पड़ने अथवा उनके परिवार में कोई आकस्मिकता हो जाने की दशा में सातवें तल से भूतल तक किसी मरीज को लाना भी असम्भव सा हो जाता है। उक्त 4 लिफ्टों के स्थान पर ओटिस कम्पनी की नई लिफ्टों के प्रतिस्थापन हेतु धन का आवंटन वित्तीय वर्ष

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2003-2004 से किया जा रहा है किन्तु न तो अभी तक इस हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है और न ही लिफ्टों के प्रतिस्थापन की दिशा में कोई कार्य हुआ है। उक्त कालोनी के अध्यासियों और उनके परिवार-जन को इससे होने वाली असीम असुविधा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कभी किसी कारणवश पानी की बोरिंग पर लगे पम्प में खराबी आ जाती है तब लिफ्ट न चलने की दशा में पीने का पानी भी अध्यासियों को भूतल से अनेक मंजिल तक चढ़ाना पड़ता है।

अस्तु मेरा अनुरोध है कि कृपया लोकहति से जुड़ी उक्त समस्या को सदन में उठाने की कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद-बाराबंकी की नगर पंचायत फतेहपुर में पेयजल की आपूर्ति हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजरानी रावत-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद बाराबंकी की नगर पंचायत फतेहपुर में पेयजल की समस्या के निदान हेतु काफी समय से पानी की टंकी की मांग की जा रही है। मेरे द्वारा पत्र सं0 ख-2/853685 द्वारा नगर पंचायत फतेहपुर में पानी की टंकी स्वीकृत किये जाने हेतु मा0 नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध किया गया था जिस पर मा0 नगर विकास मंत्री जी ने अपने आदेश संख्या 3203/मं0सं0 का नं0वि0/वी0आई0पी0 दिनांक 5-8-04 द्वारा प्रबन्ध निदेशक जल निगम को आदेश किया गया था। परन्तु अभी तक पेयजल की आपूर्ति हेतु पानी की टंकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जनसंख्या के बढ़ते दबाव एवं पानी की आपूर्ति की मांग को देखते हुए पानी की टंकी का बनवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद-आजमगढ़ की चीनी मिल सठियांव की क्षमता दो गुनी की जाने, किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान एवं मजदूरों के वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव-

[जनपद आजमगढ़ में सहकारियों के क्षेत्र में सठियांव चीनी मिल स्थापित है, जिसमें कई सौ कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते हैं और इसी प्रकार कई सौ सीजनल तथा कई सौ दैनिक भी कर्मचारी कार्य करते हैं। इसकी क्षमता लगभग 1250 मिट्रिकटन की है। किसानों के लिये विकास का एक मात्र उद्योग के रूप में आधार है। गन्ने के मूल्य का बकाया भी पड़ा रहता है। वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता। इसलिये मजदूरों-किसानों में बराबर आक्रोश बना रहता है। सरकार द्वारा कुछ समय के लिये फैक्ट्री चलाई जाती है, किन्तु मुख्य समस्या है कि इनके मशीनों का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण व क्षमता का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इससे मजदूरों किसानों की समस्या तो हल होगी ही चीनी उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसी प्रकार आजमगढ़ सरहद पर भी चीनी निगम की इकाई शाहगंज, जौनपुर भी है। इस मिल की मशीनरी भी बहुत पुरानी होने की वजह से समस्या बनी रहती है। इस मिल में आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर के किसानों का गन्ना पेराई के लिये आता है। बराबर उक्त दोनों फैक्ट्रियों की क्षमता को दो गुना किये जाने और मशीनों के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण करने की मांग किसान/मजदूर करते चले आ रहे हैं। दोनों फैक्ट्रियों को बन्द करने या सरकार द्वारा बेचने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उक्त समस्या का हल क्षमता को दो गुना किये जाने व मशीनों को आधुनिकीकरण/नवीनीकरण करके ही किया जा सकता है। इस प्रश्न को लेकर दोनों मिलों पर प्रतिवर्ष संघर्ष होते रहते हैं। रिकवरी भी पुरानी मशीन होने की वजह से नहीं हो पाती, जिससे चीनी का उत्पादन अपेक्षित क्षमता में नहीं हो पाता।

अतः चीनी निगम इकाई शाहगंज (जौनपुर) तथा सहकारिता के क्षेत्र की चीनी मिल सठियांव (आजमगढ़) की क्षमता दो गुना किये जाने, किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान और मजदूरों के वेतन का भुगतान किये जाने पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने का मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। श्री शब्बीर, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, डा0 सुशील चौधरी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी, डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा, श्री नवाब सिंह नागर, श्री होशियार सिंह, श्री कौशल किशोर, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री बीजू पटनायक, डा0 विनोद तिवारी, श्री छोटे लाल वर्मा व श्री राजेन्द्र सिंह चौहान।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15-3-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई। किसी भी सूचना को इसमें नहीं सुना जायेगा। पहली सूचना, श्री प्रागी लाल अहिरवार की ब्लाक प्रमुख मऊरानीपुर झांसी तथा उनके बच्चे के साथ मारपीट व लूट के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना, श्री मुंशी लाल गौतम की दिनांक 13 मार्च, 2005 को मा0 संसदीय कार्य मंत्री के साथ गाजियाबाद में पुलिस द्वारा धक्का मुक्की तथा प्रोटोकाल का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना, श्री राम इकबाल सिंह जी की बलिया जनपद में सड़क मरम्मत हेतु अवमुक्त धन का अन्यत्र उपयोग किये जाने तथा वर्ष 2004-2005 में भी धन उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की दिनांक 14 मार्च, 2005 को सदन में अनुपस्थित सदस्यों के विरुद्ध की गयी टिप्पणी के सम्बन्ध में, पांचवी सूचना, श्री जगदम्बिका पाल जी की प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर पांच गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में तथा छठी सूचना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की दिनांक 12 मार्च, 2005 को माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर भाषण के कुछ अंशों को राजस्व मंत्री द्वारा अशोभनीय कहे जाने के सम्बन्ध में है, मैं इन सभी सूचनाओं को निरस्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक,

2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2005 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 14 मार्च, 2005 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-3, 4, 5 और 6 में कुछ नहीं है। मैं मद सं0-7 ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 *

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

* दिनांक 30-3-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 मार्च, 2005 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सभी सूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप अपना संशोधन रखेंगे ?

(माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा संशोधन का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय हुकुम सिंह जी अपना प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, अतः माननीय मंत्री जी अपना प्रस्ताव रखें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से 3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1)-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) धारा-2 पहली सितम्बर, 2003 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी और धारा-3 तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-7-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"7-ख-विश्वविद्यालय एक छात्र संघ विरचित करेगा और प्रत्येक घटक या छात्र संघ सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य से यह अपेक्षा करेगा कि वह कालेज में एक छात्र संघ का विरचन करे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र संघ के विरचन, पदधारकों के निर्वाचन का संचालन और गठन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10 सन् 1973 की नयी धारा-7-ख का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा-38 में उपधारा (8) में शब्द "किसी सहयुक्त महाविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "किसी महाविद्यालय" रख दिये जाएंगे।

धारा 38 का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005, पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005, को पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन

2- संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) राज्य में मानवीय उपभोग के लिये अल्कोहलिक शराब से भिन्न अल्कोहल के प्रथम क्रय पर अस्सी पैसे प्रति लीटर की दर से कर-आरोपित किया जायेगा और ऐसे कर का संग्रह और भुगतान नियत रीति से राज्य सरकार को किया जायेगा।"

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक 2005, जैसा उ0 प्र0 विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी कृपया अपना संकल्प प्रस्तुत करें। आप नहीं कर रहे हैं। माननीय श्री हुकुम सिंह कृपया संकल्प प्रस्तुत करें। आप नहीं कर रहे हैं। अतः माननीय मंत्री जी अपना प्रस्ताव रखें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक 2005, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक 2005, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-18 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिये अधिक प्रभावशाली उपबन्ध बनाने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1)-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह 24 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में,-

(क) "भवन" का तात्पर्य किसी गृह, उपगृह, स्तबल, शौचालय, मूत्रालय, सायबान, झोपड़ी दीवार (चहारदीवारी से भिन्न) या कोई अन्य संरचना, जो चिनाई ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या अन्य पदार्थ के हों;

(ख) "मुख्य अग्निशमन अधिकारी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के अधीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी से है;

(ग) "अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों" का तात्पर्य ऐसे उपायों से है जो अग्नि के निवारण, नियन्त्रण और शमन के लिये और आग लगने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अधीन आवश्यक हों;

(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के अधीन यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(च) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी से है;

(छ) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :--

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वामी को ऐसी भूमि या भवन का, जिसके सम्बन्ध में किराया दिया जाता है या देय हो, किराया या किराये का कोई भाग तत्समय दे रहा हो या देने के लिये दायी हो;

(दो) ऐसा स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोगी है या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(तीन) किसी भूमि या भवन का किरायामुक्त अभिधारी;

(चार) कोई लाइसेंसधारी जो किसी भूमि या भवन का अधिभोगी हो;

(पांच) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के प्रयोग या अधिभोग से हुये नुकसान के लिये स्वामी को भुगतान करने के लिये दायी हो;

(ज) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो तत्समय चाहे अपने वास्ते या अपने एवं अन्य लोगों के मद्दे या किसी अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में किसी भूमि या भवन का किराया प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो या यदि भूमि या भवन या उसका कोई भाग किसी अभिधारी को किराये पर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी है जिसे इस प्रकार किराया प्राप्त करना चाहिये या प्राप्त करने का हकदार होना चाहिये और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :--

(एक) निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में निष्क्रान्त सम्पत्ति का अभिरक्षक, जिसमें निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 31 सन् 1950) के अधीन उक्त सम्पत्ति निहित हो;

(दो) राज्य विधि के अधीन कोई प्राधिकारी या संस्था और किसी सरकारी विभाग का विभागाध्यक्ष, उनके अपने-अपने नियन्त्रणाधीन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में;

(झ) "परिसर" का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि या भवन या उससे संलग्न किसी भवन के भाग से है जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थों और खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण के लिए किया जाता हो;

स्पष्टीकरण :-इस खण्ड में, "विस्फोटक," "विस्फोटक पदार्थों" और "खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थों" के वही अर्थ होंगे जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1984), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1908) और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 20 सन् 1952) में उनके लिये समनुदेशित है।

भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण

3-(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसे भवन जिसकी ऊंचाई ऐसी हो जैसी विहित की जाय के अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी न हो, तो उसके स्वामी को तीन घण्टे की सूचना देने के पश्चात् या परिसर में सूर्योदय या सूर्यास्त के मध्य किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा और उक्त भवन या परिसर का निरीक्षण, जहां ऐसा निरीक्षण अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उनका उल्लंघन सुनिश्चित करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगा :

परन्तु नामनिर्दिष्ट अधिकारी यदि उसे जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो तो वह किसी भवन या परिसर में किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकेगा।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भवन या परिसर के, यथास्थिति, स्वामी या अधिभोगी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण को कार्यान्वित करने के लिये समस्त सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) जब मानव आवास के रूप में प्रयुक्त किसी भवन या परिसर में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश किया जाय तो अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा और प्रथा के अनुसार जनता के सामने प्रकट न होने वाली महिला के वास्तविक अधिभोग के किसी कमरे में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के पूर्व उसे इस बात की सूचना दी जायेगी कि वह वहां से हट जाने के लिये स्वतंत्र है और वहां से हटवाने के लिये उसे प्रत्येक समुचित सुविधा प्रदान की जायेगी।

4-(1) धारा 3 के अधीन भवन या परिसर का निरीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों और भवन की ऊंचाई के सम्बन्ध में उनमें प्रदत्त ऐसे उपायों की अपर्याप्तता या ऐसे भवन या परिसर में किये जा रहे क्रियाकलापों की प्रकृति के सम्बन्ध में भवन सम्बन्धी उपविधियों से विचलन या उनके उल्लंघन पर अपने विचार अभिलिखित करेगा और ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोगी को यह निदेश देते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि वह नोटिस में यथाविहित उपाय करे।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 3 के अधीन किये गये अपने निरीक्षण रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भी देगा।

5-(1) जहां धारा 4 के उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि किसी भवन या परिसर की दशा, जीवन या सम्पत्ति के लिये खतरनाक है वहां वह धारा 8 के अधीन की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अधिभोग में ऐसा भवन या परिसर हो से ऐसे भवन या परिसर से तुरन्त हट जाने की अपेक्षा करेगा।

भवन या परिसर को मुहरबन्द करने की शक्ति

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वो जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिये क्षेत्र में ऐसी अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकता है और ऐसा अधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाये जाने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर को सीलबन्द कर देगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये किसी आदेश के अधीन के सिवाय नहीं हटायेगा।

कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध

6-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य अग्निशमन अधिकारी किसी भवन में जिसके अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन भी है, प्रवेश कर सकेगा या उसका निरीक्षण कर सकेगा, यदि ऐसा निरीक्षण ऐसे भवनों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित् करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

(2) मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रवेश और निरीक्षण ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा धारा 3 में नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध अधिकथित है।

(3) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन भवन या परिसर का निरीक्षण करने के पश्चात् और निम्नलिखित पर विचार करने के उपरान्त ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस देगा जिसमें ऐसे भवन या परिसर में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों की अपर्याप्तता कथित करेगा और ऐसे स्वामी या अधिभोगी को उक्त अपर्याप्तता को ऐसी अवधि जैसी वह न्यायोचित या युक्तियुक्त समझे, के भीतर ठीक करने के लिये निदेशित करेगा :-

(क) भवन उपविधियों के उपबन्ध, जिसके अनुसार उक्त भवन या परिसर की योजना अनुमोदित की गयी थी;

(ख) उक्त भवन या परिसर की योजना की मंजूरी के समय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तें, यदि कोई हों; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे भवन या परिसर के लिए विनिर्दिष्ट अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानक।

7-पन्द्रह मीटर से अधिक ऊंचाई वाले प्रत्येक भवन चाहे विद्यमान हो या परिनिर्माणाधीन हो जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन यथा शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोगों या दौर्बल्य से पीड़ित व्यक्तियों, शिशुओं के मामले, स्वास्थ्य लाभकर्ताओं या अधिक वय के व्यक्तियों की चिकित्सीय या अन्य उपचार या देखभाल करने या शास्ति या सुधारात्मक निरुद्धता, जिसमें निवासियों की स्वतन्त्रता निर्बन्धित हो, दुकान, बाजार, शयनवास, होटल या किराये के लिये सुसज्जित कमरों वाले मकान, शैक्षिक संस्था, सभा भवनों, जहां जन समुदाय मनोरंजन, आमोद, सामाजिक, धार्मिक, देश प्रेम सम्बन्धी, नागरिक यात्राओं के लिये इकट्ठा या एकत्रित होना हो या तत्समान प्रयोजनों के लिये किया जाना सम्भावित हो के लिये योजना प्रस्तुत की जायेगी और सरकार द्वारा प्राधिकृत सत्ता से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी कि अग्नि से सुरक्षा व्यवहारिक रूप में युक्ति-युक्तपूर्वक प्राप्त है और प्राप्त की जा सकती है।

8-(1) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, धारा 4 या धारा 6 के अधीन जारी किसी नोटिस का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में ऐसे कदम उठायेगा जो ऐसी नोटिस के अनुपालन के लिये आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन उठाये गये किन्हीं कदमों के सम्बन्ध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उपगत समस्त व्यय मांग किये जाने पर स्वामी या अधिभोगी द्वारा संदेय होंगे, और यदि ऐसी मांग के पश्चात् दस दिन के भीतर संदत्त न किये जायें तो भू-राजस्व के बकाये के रूप में उनकी वसूली की जा सकती है।

अपील

9-(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या मुख्य अग्निशमन अधिकारी के किसी नोटिस या उसके आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार को उस नोटिस या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के दिनांक से तीस दिन के अन्दर अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकती है यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत न किये जाने का पर्याप्त कारण था।

(2) उपधारा (1) के अधीन सरकार के कोई अपील ऐसे प्रपत्र में और उस नोटिस या आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जानी है और ऐसी फीस के साथ की जायेगी जैसा विहित किया जाय।

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

10-इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय किसी नोटिस या आदेश के सम्बन्ध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और इस अधिनियम के अधीन ऐसी नोटिस या आदेश पर अपील प्रस्तुत किये जाने के अलावा अन्यथा आपत्ति नहीं की जायेगी।

शास्ति

11-जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, धारा 8 के अधीन, उसके विरुद्ध किये गये किसी अन्य कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक हो सकेगी या दोनों से और जहां अपराध निरन्तर जारी हों, वहां प्रथम बार के पश्चात् ऐसे निरन्तर अपराध के दौरान जुर्माने जो रुपया पांच हजार प्रति दिन तक हो सकेगा, से दण्ड का भागी होगा।

कम्पनी द्वारा अपराध

12-(1) जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा अपराध किया जाता है, तो अपराध किए जाने के समय में प्रत्येक व्यक्ति, जो कम्पनी के प्रभार में था और जो कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिये उत्तरदायी था, के साथ ही साथ कम्पनी को अपराध के लिये दोषी समझा जायेगा और उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा और तद्नुसार दण्डित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से कोई व्यक्ति सजा का पात्र नहीं होगा यदि वह इस बात को सिद्ध कर देता है कि अपराध जानकारी के बिना किया गया था अथवा ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने के लिये उसके सम्यक् तत्परता से प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये की जहां पर इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी मौनानुमति से किया गया है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी/कर्मचारी, उस अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है और तद्नुसार दण्डित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिये,-

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

13-नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारी से शिकायत पर या उससे सूचना की प्राप्ति के सिवाय कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण की कार्यवाही नहीं करेगा।

14-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

15-इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियम के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

16-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक अधिकारी को, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

17-(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था होगी :-

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भवन की ऊंचाई;

(ख) अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिये न्यूनतम मानक;

(ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रपत्र, जिसमें कोई अपील की जायेगी और ऐसे अपील की फीस जो ऐसी अपील के साथ दी जायेगी;

(घ) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हों या जिसको नियमों द्वारा उपबन्धित किया जा सके।

18-(1) उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा कृत

कोई कार्य या कार्यवाही इसअधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-18 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया मया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2005, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2005 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

संसदीय कार्य मंत्री, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 निरसित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(2) यह 01 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।	
2- उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960 का निरसन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र स्थित जनपद झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, बांदा तथा ललितपुर आदि में हुई ओलावृष्टि से सम्बन्धित चर्चा पर सूचनादाता सदस्यों द्वारा चर्चा आरम्भ न किये जाने पर चर्चा का निरस्तीकरण

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रागी लाल अहिरवार जी, आप इस पर चर्चा शुरू करेंगे। आप नहीं कर रहे हैं। चौधरी धूराम लोधी जी, आप इस पर चर्चा शुरू करेंगे। आप नहीं कर रहे हैं। श्री प्रमोद कुमार जी, आप इस पर चर्चा शुरू करेंगे।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री प्रदीप जैन "आदित्य" जी, आप इस पर चर्चा शुरू करेंगे। श्री शिव चरण प्रजापति जी, आप इस पर चर्चा शुरू करेंगे। श्री अशोक सिंह चौहान जी, आप इस पर चर्चा शुरू करेंगे।

कोई बोल नहीं रहा है, इस समय इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, अतः मैं इसे निरस्त करता हूं।

आप लोग कृपया अपने आसन पर जायें।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 मार्च, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। पहली सूचना, श्री प्रमोद कुमार की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रामगढ़ स्थित 30 बीघे ग्राम समाज की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा फर्जी पट्टा कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर की पेयजल आपूर्ति हेतु बन्द पड़े ट्यूबवेलों की रीबोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना, श्री छोटे लाल वर्मा तथा डा0 राम बाबू हरित की जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित ग्रामों में ओलावृष्टि से किसानों को हुये नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना, श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में ओलावृष्टि व तूफान से किसानों की फसल की हुई क्षति का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना, श्री राजेन्द्र यादव की जनपद उन्नाव के कस्बा न्योतनी में विद्युत तार से हुयी मृत्यु के पीड़ित परिवार को अहेतुक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, छठी सूचना, चौधरी मस्त राम की जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद निवासी श्री शिव बालक की भूमि को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने

के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना, श्री प्रभू नारायन सिंह की जनपद [illegible]पुर के ग्राम टिकरा में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शनों में बिना पूर्व सूचना के हजारों रुपये की बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड हेतु सदस्य निर्वाचित [illegible] सभासदों को बोर्ड की बैठक में न बुलाये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना, श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर में ओलावृष्टि से कृषकों की नष्ट हुयी फसल की [illegible]पूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री कैलाश चौरसिया की उत्तर प्रदे[illegible]न्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना अन्तर्गत प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी की सेवा [illegible]ये जाने में हो रही धांधली के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, [illegible] सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की जनपद कन्नौज के ग्राम अल्हनापुर में श्री रामशंकर दुबे के 25 वर्षीय पुत्र के अपहरण एवं श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर स्थित पचरूखिया घाट पर अधूरे पुल को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेरहवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत स्थित हिन्दुस्तान बजाज शुगर मिल गोला द्वारा गन्ना क्रय केन्द्रों पर की जा रही घटतौली के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। शेष निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं--

1-श्री बीजू पटनायक
2-श्री प्रागी लाल अहिरवार
3-श्री सुरेश कुमार खन्ना
4-श्री राम करन आर्य
5-श्री मुन्शी लाल गौतम
6-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
7-श्री राम इकबाल सिंह
8-श्रीमती राजरानी रावत
9-श्री रणवीर राणा
10-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
11-श्री राम नरेश यादव
12-श्री दिलीप कुमार वर्मा
13-श्री जियाउद्दीन रिजवी
14-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर
15-श्री बैजनाथ दुबे
16-डा0 सुशील चौधरी
17-श्री विद्या सागर गुप्ता
18-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"
19-श्री कौशल किशोर
20-श्री विश्राम सिंह यादव
21-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

22-श्री कल्याण सिंह दोहरे

23-श्री पूर्णमासी देहाती

24-श्री [illegible] सिंह नागर

जनपद आगरा के व्यस्ततम मुख्य मार्गों पर नगर निगम की देख-रेख में खुले रूप से बेचे जा रहे मांस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री [illegible] प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री [illegible] प्रसाद गर्ग, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद आगरा के घटिया आजम खां, घटिया मामू भांजा, तोता का तालाब, लोहा मण्डी मस्जिद के पास, मुगल रोड कमलानगर, जमुना ब्रिज स्टेशन रोड आदि स्थानों पर बिना चिक लगाये खुले रूप से मीट की दुकानें चलायी जा रही है जिसके कारण सड़कों पर आवारा कुत्ते व बड़े पक्षी एकत्रित रहते हैं जिससे सड़क पर दुर्घटनायें होती हैं। खुले रूप से मीट बेचे जाने से बदबू के कारण सड़कों पर चलना दूभर है, इन स्थानों पर गन्दगी का साम्राज्य कायम हो गया है जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। नगर निगम की मिलीभगत होने के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

2-इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर के मुख्य मार्गों पर मांस की बिक्री का कोई कार्य नहीं कराया गया है। नगर निगम द्वारा मांस की बिक्री हेतु नियमानुसार घटिया आजम खां, घटिया मामू भांजा, तोता का तालाब, लोहा मण्डी मस्जिद के पास, मुगल रोड, कमला नगर, जमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर मांस की बिक्री के लाइसेन्स निर्गत कर दिये जाते हैं और विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त समस्त विक्रेता मांस बिक्री ढककर एवं चिक लगाकर करें। यदि कोई दुकानदार नियमों के विरुद्ध मांस की बिक्री करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध चालान कर न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाता है। ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध वर्ष 2004 में 375 चालान किये गये और इस वर्ष 2005 में (जनवरी, 2005 से 11 मार्च, 2005 तक) 66 चालान किये गये हैं। आगरा नगर निगम मे कोई भी मीट मार्केट नहीं है। मा0 विधायक द्वारा उल्लखित समस्त मुहल्लों में मांस की बिक्री के सम्बन्ध में कोई प्रतिरोध नहीं है। ऐसा कोई भी मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है कि जिसमें मांस विक्रय क्षेत्र में किसी प्रकार के कुत्ते अथवा पक्षियों का जरूरत से ज्यादा जमावड़ा रहता हो और उससे कोई सड़क दुर्घटना हुई हो। मांस की बिक्री में ताजा मांस में कोई बदबू सामान्यतः नहीं आती है। यदि जांच के समय ऐसा कोई व्यक्ति विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो तुरन्त सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही की जाती है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यकारी संस्था पैक्सफेड द्वारा घटिया किस्म की निर्माण सामग्री लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की सम्बन्ध में श्री मोहन देव शंखवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री, (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद फिरोजाबाद अन्तर्गत निर्माणाधीन ....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आनन्दपुर जारखी में कार्यदायी संस्था, पैक्सफेड द्वारा घटिया किस्म का कार्य कराये जाने से सरकार की साख गिरी हुई है, यहां तक पैक्सफेड जैसी संस्था जो एक सरकारी संस्था है और प्रशिक्षण संस्थान में घटिया किस्म की सामग्री लगाकर के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है तथा वहां प्रतिनिधि की भी उपेक्षा करते हुए अधिकारियों से उद्घाटन कराकर शिलापट लगाकर भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश किया गया हैं। इसमें करीब 2 करोड रुपया खर्च दिखाया गया है और कार्यदायी संस्था को पूर्ण भुगतान के आदेश भी कर दिये गये हैं। वहां के स्थानीय अभियन्ता द्वारा प्रमुख सचिव, श्रम से शिलापट पट्टिका आदि लगवाकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है। इसमें बहुत भारी धांधली हुई है। विजलेन्स जांच होने से सही तथ्य सामने आ जायेंगे और दोषी अभियन्ता व कार्यदायी संस्था दण्डित हो सकेगी।

मा0 विधायक द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग की गई है।

2-उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रा0औ0प्र0 संस्थान, आनन्दपुर जारखी (टुण्डला) फिरोजाबाद की स्थापना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में की गई थी। जिसके लिए तत्कालीन जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी थी। भवन निर्माण हेतु वर्ष 2003 में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आगणन में से न्यूनतम आगणन के आधार पर तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्रम एवं सेवायोजन द्वारा पैक्सफेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रु0 117.74 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 19-2-04 द्वारा रु0 45.00 लाख तथा शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 2004 द्वारा रु0 72.74 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त निर्माण कार्य का जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा गठित समिति, जिसमें सी0 डी0 ओ0 फिरोजाबाद अधिशासी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 तथा प्रधानाचार्य रा0औ0प्र0सं0, शिकोहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23-9-2004 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में सी0डी0ओ0 फिरोजाबाद ने भवन में ईंटों की क्वालिटी खराब होने व प्लास्टर मानक के अनुरूप न होने के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक पैक्सफेड से कहा तथा सुधार करने के निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी फिरोजाबाद से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा कार्य का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी। शासन के पत्र संख्या-752(1)/36-6-05-32-पी/2001, दिनांक 11-3-2005 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग से टी0ए0सी0 जांच कराने का भी अनुरोध किया गया है।

जहां तक निर्माणाधीन रा0औ0प्र0सं0, आनन्दपुर जारखी का उद्घाटन तत्कालीन प्रमुख सचिव, श्रम से शिलापट्ट करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी फिरोजाबाद से आख्या प्राप्त की गई, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 12-8-04 को तत्कालीन प्रमुख सचिव, श्रम द्वारा शिलान्यास किया गया था परन्तु शिलापट्ट को बाद में हटा दिया गया।]

मेरठ मण्डल में कृषकों के हजारों निजी नलकूपों के इस्टीमेट जमा होने के बावजूद कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मेरठ मण्डल के लिए विगत तीन....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[वर्षों में सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लक्ष्य प्रगति एवं लम्बित बी0 एण्ड एल0 फार्म की स्थिति निम्नवत् है :--

क्र0सं0	वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	वर्ष के आरम्भ में लम्बित बी0 एण्ड एल0 फार्म	वर्ष में नये प्राप्त	कुल	वर्ष में ऊर्जीकृत	वर्ष के अन्त में लम्बित
1	2002-03	2066	3176	434	3610	2299	1311
2	2003-04	550	1311	1882	3193	550	2643
3	2004-05	850	2643	543	3186	--	3186

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सामान्य योजना के अन्तर्गत कृषकों द्वारा निजी नलकूप संयोजन हेतु आवेदन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसके ऊर्जीकरण का लक्ष्य उपलब्ध धन के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में पूरे प्रदेश हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य क्रमशः 11718, 5000 तथा 6000 निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष मेरठ मण्डल के लिए क्रमशः 2066, 550 तथा 850 का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश के सम्पूर्ण लक्ष्य के सापेक्ष मेरठ मण्डल को पर्याप्त वरीयता दी गयी है। वर्तमान वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ऊर्जीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है।]

श्री राम बचन सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनपद मऊ द्वारा राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हेतु जमीन एवं धनराशि देने के उपरान्त भी कालेज की स्थापना न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री राम बचन सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा राजकीय ....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खा-

[डिग्री कालेज, पिजड़ा जनगरा जनपद मऊ में स्थापित करने हेतु शासन को प्रत्यावेदन दिया गया था तथा इसी सम्बन्ध में उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में सिविल मिस याचिका संख्या-7801/2000 योजित की गयी कि जिससे मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15-2-2000 द्वारा 04 माह के अन्दर तक संगत आदेश पारित करने के निर्देश दिये थे। प्रकरण में विचारोपरान्त श्री सिंह का प्रत्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तद्नुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-1080/सत्तर-5-2000, दिनांक 17-5-2000 द्वारा प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया।

2-श्री राम बचन सिंह निवासी-ग्राम व पोस्ट बगली पिजड़ा, मऊ द्वारा 19 एकड़ भूमि तथा रुपये 10.00 लाख की धनराशि छात्रवृत्ति हेतु दान देने का प्रस्ताव करते हुए अपने ग्राम में एक राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में पुनः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-16601/2001, राम बचन सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23-7-2001 को पारित अपने निर्णय में प्रकरण के सम्बन्ध में 06 माह में कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे। उक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 23-7-2001 के समादर में राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी मऊ से दान में प्रस्तावित भूमि की जांच करायी गयी। जिलाधिकारी मऊ की आख्या के अनुसार दान में प्रस्तावित भूमि श्री राम बचन सिंह की अपनी भूमि नहीं है। जांच से स्पष्ट हुआ कि जिन भूखण्डों को श्री सिंह द्वारा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दान स्वरूप दिये जाने की बात कही गयी थी उन भूखण्डों पर श्री राम बचन सिंह का नाम अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री राम बचन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया। अतः राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-7-2001 के विरुद्ध एक रिव्यू अप्लीकेशन संख्या-123411/2002 उत्तर प्रदेश राज्य योजित की गयी। उक्त रिव्यू अप्लीकेशन में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश तथा रिट याचिका संख्या-16601/2001 में पारित निर्णय दिनांक 23-7-2001 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8443-8444 राज्य सरकार बनाम राम बचन सिंह योजित की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय ने मा0 उच्च न्यायालय के उक्त (आदेश दिनांक 23-7-2001 एवं आदेश दिनांक 13-11-2002) को अपने आदेश दिनांक 16-7-2004 द्वारा स्थगित कर दिया है।

श्री राम बचन सिंह द्वारा रुपये 10.00 लाख की धनराशि महाविद्यालय के नाम जमा करने की कोई सूचना/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में अन्तिम निर्णय हेतु अभी विचाराधीन है।]

जनपद बलिया की रसड़ा तहसील में मुंसिफ न्यायालय के भवन का निर्माण हो जाने के उपरान्त भी न्यायालय चालू न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

संविधान के अनुच्छेद 227 की ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी न्यायालय की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय की सहमति/संस्तुति पर ही की जाती है। इस क्रम में जनपद बलिया स्थित तहसील रसड़ा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय ने सहमति नहीं दिया है। अतः जनपद बलिया की तहसील रसड़ा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किया जाना संभव नहीं है।]

जनपद मुजफ्फरनगर के कैराना पंजीठ एवं ऊंचागांव के विद्युतघर के ओ0सी00वी0 विगत कई महीनों से खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति ठप्प होने एवं फसलों की सिंचाई न होने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद मुजफ्फरनगर के किसी भी ...

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[बिजलीघर से विद्युत आपूर्ति ओ0सी0बी0 खराब होने के कारण से बन्द नहीं है।

33/11 के0 वी0 कैराना बिजलीघर की स्थिति निम्नवत् है :-

1-ऊंचागांव फीडर की ओ0सी0बी0 ठीक है।

2-पंजीठ फीडर की ओ0सी0बी0 यद्यपि खराब है लेकिन इस फीडर से पोषित होने वाले क्षेत्र को अन्य फीडर से जोड़कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस फीडर की ओ0सी0बी0 बदलने के लिये प्राकलन/पैकेज स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा भण्डार केन्द्र पर ओ0सी0बी0 प्राप्त होते ही बदल दी जायेगी। पंजीठ फीडर पर विगत 08 माह में औसतन 08 घण्टे 51 मिनट प्रतिदिन आपूर्ति की गई है।]

जनपद जौनपुर के त्रिलोचन बाजार में रंगदारी टैक्स वसूलते समय व्यवसायी श्री कन्हैया लाल गुप्ता की गोली लगने से हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

पुलिस अधीक्षक, जौनपुर ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 09-3-05 को वादी श्री छेदी लाल गुप्ता पुत्र श्री नरोत्तम गुप्ता निवासी त्रिलोचन महादेव थाना-जलालपुर ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 09-3-05 को समय लगभग 7.00 बजे वह एवं उसका लड़का कन्हैया लाल गुप्ता उम्र 45 वर्ष और लोकनाथ गुप्ता, उम्र 26 वर्ष तथा कुछ अन्य लोग दुकान पर मौजूद थे कि वाराणसी की ओर से एक मारूति कार आयी और रुकी तथा दो व्यक्ति उतरे। उसकी दुकान की ओर आये तथा उसके लड़के को गाली देते हुए बुलाये, लड़के कुछ बोलते कि धड़ाधड़ गोली चलने लगी। इससे लोकनाथ की मृत्यु हो गयी तथा कन्हैया लाल गुप्ता को चिकित्सा हेतु वाराणसी ले गये। आस-पास की दुकानें गोली की आवाज सुनकर बन्द हो गयीं तथा रोड पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। बदमाश फायर करते हुए गाड़ी में बैठकर जौनपुर की तरफ भागे।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बदमाशों को उसने व दुकानों पर बैठे लोगों ने इन्वर्टर की रोशनी में देखा। सामने आने पर पहचान लेंगे। उक्त घटना की सूचना पर थाना-जलालपुर में मु0अ0सं0-95-05 धारा 302/307/504 भा0द0वि0 तथा 7 क्रि0लॉ0ए0 ऐक्ट समय 20.10 बजे बनाम दो व्यक्ति अज्ञात सूरत शिनाख्त पंजीकृत हुआ। सूचना प्राप्त होते ही थाना जलालपुर की पुलिस मौके पर पहुंची तथा आसपास के थानों को घेराबंदी हेतु सूचित किया गया।

वादी की तहरीर से ही स्पष्ट है कि आवागमन अवरुद्ध होने का कारण गोली की आवाज से ही हुई अफरा-तफरी रही है न कि जनता के द्वारा मार्ग अवरुद्ध किया गया। स्थानीय पुलिस सहित जनपद में उपलब्ध सभी सम्बन्धित अधिकारी यथाशीघ्र मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर बदमाशों की तलाश में जुट गये तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पुछतांछ की जा रही है।]

जनपद अम्बेडकर नगर के नेवादा विद्युत उपकेन्द्र का ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के संबंध में श्री राकेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद अम्बेडकर नगर के नेवादा ...

राजस्व मंत्री (श्री आंम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विद्युत उपकेन्द्र का ट्रान्सफार्मर 3 एम0वी0ए0 के स्थान पर 5 एम0वी0ए0 का किये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद अम्बेडकर नगर के नेवादा उपकेन्द्र पर वर्तमान में 3 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यह सही है कि उक्त उपकेन्द्र अतिभारित है तथा विद्युत भार बढ़ने पर स्थानीय स्तर से बिजली की रोस्टरिंग की जा रही है।

महाप्रबन्धक (वितरण) फैजाबाद क्षेत्र को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे उक्त उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि हेतु प्रस्ताव का परीक्षण क्षेत्रीय तकनीकी समिति से कराकर अपनी अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजें।

विगत में 33/11 के0वी0 जलालपुर उपकेन्द्र पर क्षमता वृद्धि करते हुये एक 10 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया गया है और 5 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर जो वहां से निकाला गया था। वह वहीं उपकेन्द्र पर रखा हुआ है। यह कहना गलत है कि जलालपुर उपकेन्द्र पर 5 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर जंग खा रहा है क्योंकि जलालपुर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 3-4 माह पूर्व ही की गई है।

नेवादा उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि हेतु महाप्रबन्धक (वितरण) फैजाबाद क्षेत्र से जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होगा स्वीकृति प्रदान कर वहां 5 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर मंगाकर उक्त उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि कर दी जायेगी।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि पिछले 4 महीने से इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की कोशिश हो रही हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। शहर की कोई गली ऐसी नहीं जहां कूड़े का अम्बार न हो। पिछले 4 वर्षों में शहर की सफाई व्यवस्था ज्यादा खराब हुई है। जब से अंशकालिक सफाई कर्मियों को हटाया गया है, तब से शहर की सफाई व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। शासनादेश के तहत एक झटके में नगर निगम ने 700 अंशकालिक सफाई कर्मियों के काम से बाहर कर दिया। 5 माह से अंशकालिक सफाई कर्मियों के स्थान पर सफाई मजदूर लेने की बात चल रही है। कहने को लिखापढ़ी में ठेके पर सफाई मजदूर रख लिये गये हैं पर काम शायद ही कोई कर रहा है। सफाई व्यवस्था के लिये दो ठेकेदार रखे गये हैं, जो दिहाड़ी पर मजदूरों से काम करा रहे हैं। ठेके पर रखे गये सफाई मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में कमीशनखोरी चल रही है। 1800 रुपये के स्थान पर मात्र एक हजार रुपया मजदूरों को दिया जा रहा है। 800 रुपया कमीशन लिया जा रहा है। जो कि अति चिन्ताजनक है। मा0 सदस्य द्वारा इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था स्थायी रूप से सुचारु रूप से कराये जाने की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम, इलाहाबाद में 2575 नियमित सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान समय में 1987 नियमित सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। नगर निगम के सदन द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल 700 अंशकालिक सफाई कर्मचारी सफाई कार्य के लिये लगाये गये थे, किन्तु उक्त नियुक्तियां अनियमित होने के कारण शासन के पत्र दिनांक 20-12-02 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये गये। इसी बीच सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के फलस्वरूप मंडलायुक्त, इलाहाबाद व सफाई कर्मचारियों के संघ के प्रतिनिधियों के मध्य हुए एक समझौते के अन्तर्गत इन सफाई कर्मियों को तत्काल नहीं हटाया गया तथा इनसे अक्टूबर, 2004 तक कार्य कराया जाता रहा। तदोपरान्त इलाहाबाद महानगर में सफाई व्यवस्था ठेके पर कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी। इस आशय के टेण्डर की कार्यवाही की गयी और कर्मचारी संगठनों के विरोध के कारण ठेकेदारों को काम कराने में विफल पाया गया। तदोपरान्त पुनः टेण्डर की कार्यवाही कराने के बाद रुपये 60/- प्रतिदिन प्रति मजदूर की दर से

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त टेण्डर स्वीकार करते हुए कार्यादेश जारी किया गया और विभिन्न सफाई वार्डों में उन्हें लगाया गया, जो माह जनवरी, 2005 से कार्य करना प्रारम्भ किया। कार्यादेश द्वारा 03 ठेकेदारों के माध्यम से सफाई मजदूर कार्य के लिये लगाये गये हैं और अभी तक ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि ठेका शर्त के अनुसार एक माह का कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान किये जाने की व्यवस्था रखी गयी है। इस प्रकार यह शिकायत गलत है कि रु0 1800/- के स्थान पर रु0 1000/- मजदूरों को दिया जा रहा है और रु0 800/- कमीशन लिया जा रहा है, क्योंकि कोई भुगतान ही नहीं अभी तक नहीं किया गया है तो कमीशन लिये जाने की शिकायत ही निराधार हैं नगर निगम में कार्यरत 1987 नियमित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है साथ ही वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत ठेका द्वारा सफाई मजदूरों को लगा कर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त सफाई हेतु सफाई मजदूरों को समय-समय पर होने वाली आवश्यकता के अनुसार मजदूर लगाये जाने के लिये टेण्डर की कार्यवाही की जा चुकी है ताकि प्रत्येक स्थानों पर आवश्यकतानुसार सफाई मजदूरों के माध्यम से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके।

3-उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के उपरान्त नागर स्थानीय निकाय संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है, जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र के अधीन सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की प्राथमिकताएं अपने उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत निर्धारित करते हुए उनका निर्वहन करना होता है। उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत अपनी प्राथमिकतायें निर्धारित करने हेतु नागर स्थानीय निकाय स्वतंत्र हैं इनके कार्य क्षेत्र में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है। संविधान के 74वें संशोधन के 12वीं अनुसूची में जन कल्याण लोक स्वास्थ्य, सफाई और कूड़ा करकट आदि से सम्बन्धित दायित्वों के निर्वहन हेतु नगरीय निकायों को उत्तरदायी बनाया गया है।]

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्राचार्य के विरुद्ध जांच/स्थानान्तरण की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रो0 बी0 एल0 सिंह, प्राचार्य राजकीय.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के स्थानान्तरण/जांच तथा दण्डात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डा0 सिंह को जनपद लखनऊ में वर्ष 1976 मे कार्यरत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने का उल्लेख किया गया है। प्रो0 सिंह का लखनऊ में विभिन्न पदों पर कार्यकाल निम्नवत् रहा है :--

क्र0सं0	पद का नाम	अवधि	संस्था का नाम
1	2	3	4
1	प्रवक्ता	दिनांक 22-1-1976 से 2-5-89 तक।	रा0 मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ।
2	प्रोफेसर	दिनांक 3-5-1989 से 15-8-1996 तक।	रा0 नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ।
3	प्राचार्य	दिनांक 16-8-1996 से 15-7-1997 तक।	रा0 मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ।
4	प्राचार्य	दिनांक 16-7-1997 से वर्तमान तक।	रा0 नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ।

2-इस प्रकार प्रो0 सिंह जनपद लखनऊ में 29 वर्षों से कार्यरत है। वर्तमान में प्रो0 सिंह को मध्य सत्र होने के कारण स्थानान्तरित नहीं किया गया है। आगामी सत्र में इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

3-प्राचार्य नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के कार्यकाल के दौरान प्रो0 सिंह के विरुद्ध वर्ष 2002 में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई, जिसकी जांच सुश्री जूथिका पाटणकर तत्कालीन विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा से करायी गयी। जांच समिति की जांच रिपोर्ट दिनांक 25-2-03 का परीक्षण किया गया तथा परीक्षणोपरान्त प्रो0 सिंह के विरुद्ध की गयी शिकायतें सिद्ध नहीं पायी गयीं।

इसी प्रकार प्रो0 सिंह के विरुद्ध वर्ष 2003 में यह आरोप लगाये गये कि इनके द्वारा तत्कालीन कार्यवाहक निदेशक को अपने कालेज का निरीक्षण नहीं करने दिया गया और उनके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गयी तथा प्रो0 सिंह द्वारा तत्कालीन विशेष सचिव के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गयी। उक्त आरोपों की जांच के सम्बन्ध में तत्कालीन विशेष सचिव की जांच रिपोर्ट पर प्रो0 सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जो परीक्षणाधीन है।

इसी प्रकार नियोजन विभाग द्वारा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एव पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के निर्माण कार्य तथा साज-सज्जा के सामानों हेतु वर्ष 1999 में तीनों कालेजों हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 52.50 लाख में क्रय सम्बन्धी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जांच संस्थित की गयी जिसमें जांच अधिकारी श्री ए0 पी0 सिंह, वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा की जांच आख्या के आधार पर प्रकरण उच्च स्तर पर निर्णयार्थ विचाराधीन है।]

जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड माल में सामन्तों द्वारा दलित समाज के व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं :--

वर्ष 2001-02 में ग्राम सभा की खुली बैठक द्वारा प्रस्ताव हुआ कि कस्बा माल में अनिल गुप्ता के मकान के पीछे से दयाशंकर पुत्र भलभद्र के मकान तक खड़न्जा लगवाया जाय जो उस वर्ष की कार्ययोजना के क्रमांक-20 पर अंकित है। उक्त कार्य कराने हेतु उक्त स्थल पर ईंट डलवाया गया परन्तु कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त ही डा0 आर0 वी0 सिंह ने मौके पर आकर आपत्ति प्रकट की और कार्य रुकवा दिया क्योंकि उक्त भूमि उनकी निजी भूमि है जिसका खसरा नम्बर 374 है। प्रस्तावित खड़न्जे की भूमि सार्वजनिक गलियारा या बंजर की भूमि नहीं है। उक्त जमीन की तत्समय निशानदेही राजस्व विभाग द्वारा करायी गयी थी तो डा0 आर0 वी0 सिंह का कथन सत्य पाया गया था। तत्पश्चात् कार्य स्थल से ईंट हटवाकर पंचायत कार्यालय पर लगा दिया गया और उसी कार्य योजना में उल्लिखित क्रमांक-41-42 पंचायत घर की बाउन्ड्री आदि का कार्य कराया गया। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि डा0 आर0 वी0 सिंह ने कुंवर भूपेन्द्र सिंह को दे दिया है जो उनके कब्जे में है।

ग्राम माल से किसी भी व्यक्ति का पलायन नहीं हुआ है सभी लोग अपने घरों पर सकुशल रह रहे हैं थाना माल में अथवा अन्य किसी अधिकारी से खड़न्जा उखड़वाये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई शिकायत नहीं की गयी है।]

जनपद आजमगढ़ के सभी नर्सिंग होमों में पशेवर रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा दिनांक.....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[07-03-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य रूप से यह सूचना दी गयी थी कि जनपद आजमगढ़ में ब्लड बैंक 1997 से लाइसेन्स मिलने के उपरान्त जिला चिकित्सालय में चल रहा है। मऊ, आजमगढ़ में मिलाकर एक ही ब्लड बैंक का लाइसेन्स निर्गत है, दोनों जनपदों में 200 के ऊपर प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं, जो बाहर से पेशेवर डोनर से बिना जांच किया हुआ खून चढ़ा रहे हैं, जिससे समाज में एड्स व हेपेटाइटिस बी जैसी भयंकर बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से मात्र एक या दो यूनिट ही ब्लड निकल पाता है, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 50 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया है लेकिन ब्लड की एक्सपायरी 35 दिन होने के कारण यदि समय के अन्तर्गत ब्लड नहीं चढ़ाया जायेगा, तो वह एक्सपायर हो जायेगा। आजमगढ़ के सभी नर्सिंग होम के लोग पेशेवर रक्तदाता से खून लेकर चढ़ा रहे हैं, इसमें ड्रग इन्सपेक्टर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

<u>वक्तव्य</u>

मा0 सदस्या की सूचनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ एवं मऊ में केवल जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में स्थित रक्तकोष को लाइसेन्स प्रदान किया गया है तथा उक्त रक्तकोष वर्तमान में कार्यरत है। जनपद मऊ के जिला चिकित्सालय में रक्त कोष लाइसेन्स हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में निरीक्षण की कार्यवाही दिनांक 16-06-2001 को की गयी थी। निरीक्षण में कुछ कमियां पायी गयी थीं, जिन्हें दूर कर अनुपालन आख्या सम्बन्धित चिकित्सालय से प्राप्त न होने के कारण लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने की दिशा में अग्रिम कार्यवाही लम्बित है। जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ स्थित रक्त कोष में वर्ष 2004 में कुल 45 यूनिट तथा वर्ष 2005 में (अब तक) 08 यूनिट रक्त एकत्रित किये गये हैं। वर्ष 2004 में कुल 09 यूनिट तथा वर्ष 2005 में 18 यूनिट रक्त एक्सपायर हुए। वर्ष 2004 में विशेष अभियान के दौरान एकत्रित समस्त रक्त यूनिट को प्रयोग में न लाये जाने के कारण वर्ष 2005 में 18 यूनिट रक्त एक्सपायर हो गये। जनपद आजमगढ़ तथा मऊ में कोई प्राइवेट रक्तकोष कार्यरत नहीं है तथा न ही किसी प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पताल द्वारा पेशेवर रक्तदाताओं से रक्त एकत्र कर चढ़ाने का मामला संज्ञान में आया है। औषधि नियंत्रण विभाग के मण्डलीय सहायक औषधि नियंत्रक एवं जनपदीय औषधि निरीक्षक द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित जनपदों के नर्सिंग होम एवं प्राइवेट पैथालाजी की औचक जांच की जाती है किन्तु अब तक कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ नगर निगम में स्थानीय निकायों की नामावली के पुनरीक्षण में अनियमितता किये जाने एवं मतदाता सूची में लाखों लोगों का नाम सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों की नामावली का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसके लिये प्रतिबन्ध यह था कि इस कार्य में सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी नहीं लगाये जायेंगे, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। मेरठ नगर निगम में तो इस कार्य का केन्द्र ही नगर निगम है। अनियमितताओं से भरपूर सूची तैयार हो रही है। लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा घर बैठ कर मतदाता सूची निर्मित की गई है। लगभग एक लाख वोटर नगर निगम क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। वार्डों में मुहल्लों को शामिल नहीं किया गया, लगभग 115 मुहल्ले/आबादी बस्ती शामिल नहीं है। वार्ड 13 व 22 में लगभग 2000 मतदाताओं को दोनों ओर शामिल किया गया है। वार्ड संख्या 5, 9, 34, 35, 39, 45, 48, 51, 53, 59, 61, 63, 64 में से मोहल्ले छूटे हैं। वार्ड संख्या- 38, 27, 39, 45, 61, 41 में मतदाता छोड़े हैं। प्रत्यावेदन के बाद भी कोई सुधार की आशा नहीं है। इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा मा0 सदन में वक्तव्य की मांग की गई है।

2-इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), मेरठ द्वारा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना के सम्बन्ध में जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है, वह निम्नवत् है :--

(1) मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में नगर निगम, मेरठ के किसी अधिकारी/कर्मचारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक/संगणक के रूप में कार्य हेतु नियुक्त नहीं किया गया है।

(2) इस कार्य में लगे संगणकों द्वारा निर्धारित अवधि में घर-घर जाकर गणना एवं सर्वेक्षण कार्य किया गया है तथा पाण्डुलिपि तैयार की गयी है।

(3) इस अवधि में विभिन्न वार्ड/मुहल्लों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में न जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से निराकरण करा दिया गया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(4) वार्ड -13 व वार्ड -22 के दोनों जगह मतदाता के अंकित नामों को एक सूची से पृथक कर सही सूची में अंकित करा दिया गया है।

(5) मतदाता सूची में किसी वार्ड या मोहल्ले को छोड़ा नहीं गया है।

3-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), मेरठ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में लगे संगणकों/पर्यवेक्षकों/सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अतिरिक्त 15 सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा भी अपने निर्वाचित क्षेत्रों में भ्रमण कर मतदाता सूचियों को शत प्रतिशत शुद्ध बनाने हेतु कार्य किया गया है।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार इन निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन व निरीक्षण मतदान केन्द्रवार दिनांक -01 अप्रैल, 2005 से 07 अप्रैल, 2005 तक किया जाना है तथा 01 अप्रैल, 2005 से 15 अप्रैल, 2005 तक दावे व आपत्तियां दाखिल करने का अवसर दिया गया है एवं 16 अप्रैल, 2005 से 30 अप्रैल, 2005 तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है। तत्पश्चात् ही अन्तिम मतदाता सूची तैयार की जानी है।]

जनपद-बलिया रेवती कस्बे के पास श्री पारस नाथ पाण्डेय के पुत्र का अपहरण कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

बलिया जनपद के रेवती कस्बे के पास....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[धनेश पाण्डेय के डेरा के निकट रत्मेश पाण्डेय का अपहरण कर लिया गया था। वादी श्री कनक पाण्डेय पुत्र श्री त्रिलोकी पाण्डेय, सा0 रेवती दक्षिण टोला, थाना रेवती, जनपद बलिया की सूचना पर थाना रेवती पर मु0अ0सं0 31/2005 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीकृत करके निवेचना की गई। कन्ट्रोल रूम के द्वारा सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित करके दीयरा क्षेत्र के घाटों पर प्रभावी चेकिंग प्रारम्भ करायी गयी एवं घाघरा के दुर्गम दीयरा क्षेत्र में काम्बिंग करायी गयी। सरहदी जनपदों सिवान/छपरा के पुलिस अधीक्षकों से वार्ता करके हर तरफ से घेराबन्दी की गयी, जिसके फलस्वरूप अपराधी बालक को जनपदीय सीमा से बाहर नहीं ले जा सके। जनपदीय पुलिस द्वारा अथक परिश्रम करके घटना का अनावरण किया गया एवं अपहृत बालक को दिनांक 10.3.2005 को बरामद कर लिया गया है। विवेचना से 6 अभियुक्त प्रकाश में आये। अभियुक्त मीर हसन पुत्र सदीक नट, साकिन

गोपालनगर थाना रेवती जनपद बलिया, प्रदीप दुसाध पुत्र हृदयानन्द उर्फ लम्बू साकिन मधुबनी, थाना बैरिया, बलिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गहन दबिश दी जा रहीं हैं।]

जनपद-बरेली के ग्राम-गुलड़िया गौरीशंकर के श्री अमर सिंह लोधी एवं उनकी पत्नी के साथ बदमाशों द्वारा लूट-पाट करने एवं विरोध करने पर श्री लोधी की हत्या किये जाने तथा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदी कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद बरेली के अमर सिंह लोधी.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[निवासी-ग्राम-गुलड़िया गौराशंकर थाना-सिरौली जनपद-बरेली दिनांक-28-2-05 को अपनी पत्नी के साथ साइकिल से ग्राम नागर जिला-बदायूं जा रहें थे। कस्बा बजीरगंज के निकट देवी मेला नामक स्थान के पास दिन के लगभग 9 बजे एक मोटरसाइकिल पीले रंग की आयी। जिस पर 3 लोग सवार थे, इन लोगों ने मोटरसाइकिल आगे रोककर अमर सिंह की पत्नी को लूटना शुरू कर दिया। अमर सिंह लोधी ने विरोध किया और वह एक बदमाश से भिड़ गये और उस बदमाश को दबोच लिया। दूसरे बदमाश ने उन्हें गोली मार दी और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी। उस स्थान पर घटनायें घटित होती रहती हैं। उस दिन भी 2 और लोगों को लूटा गया था। पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही कोई पुलिस वाला उनके घर आज तक गया। पुलिस और उल्टा कह रही हैं कि पत्नी ने ही उसकी हत्या करायी है। इससे जनता आन्दोलित है। वह अपने परिवार के एक मात्र सहारा थे। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके परिवार को 5 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाय।

2-इस सम्बन्ध में वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, बरेली से आख्या मांगी गयी। वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत घटना जनपद बदायूं के थाना-बजीरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत घटित हुई है। इस पर वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, बदायूं से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार दि0 28-2-05 को श्रीमती दुलारी पत्नी श्री अमर सिंह, नि0 गुलड़िया गौरीशंकर, थाना-सिरौली, जनपद बरेली द्वारा थाना बजीरगंज, जनपद-बदायूं पर यह सूचना अंकित करायी कि वह अपने पति अमर सिंह के साथ दि0 28-2-05 को अपने गांव गुलड़िया गौरीशंकर से साइकिल द्वारा अपने निकट सम्बन्धी श्री गोविन्द ग्राम-ना झूना, थाना-बिल्सी को जा रहे थे। लगभग 11.00 बजे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिन में जब वह अपने पति के साथ ग्राम-रामडाडी जाने वाली सड़क के पास पहुंचे तभी पीछे से एक पीले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आये। इन व्यक्तियों ने रोक कर मेरे पति को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना-बजीरगंज पर मु0अ0सं0-103/05 धारा 302 भादवि बनाम 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इस घटना की विवेचना थानाध्यक्ष वजीरगंज द्वारा की जा रही है। विवेचना से अब तक किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया है। घटना में "फ्रीडम मोटरसाइकिल" का प्रयुक्त होना प्रकाश में आया है। अभी तक मोटर साइकिल की निशानदेही नहीं हो पायी है।

3-विवेचना से यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा मृतक की पत्नी से छेड़-छाड़ की गयी। छेड़-छाड़ का विरोध करने पर अभियुक्तों ने अमर सिंह को गोली मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। विवेचक द्वारा दिनांक 4-3-05, 10-3-05 व 12-3-05 को मृतक के गांव जाकर उसकी मां, भाई, पत्नी व दो पुत्रों से पूछतांछ कर धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोग दैनिकी में ब्यान अंकित किये गये हैं।

4-दिनांक 28-2-05 को हुई उक्त घटना के पूर्व इस स्थान पर पूर्व में कोई घटना घटित नहीं हुई है। दिनांक 28-2-05 की अन्य व्यक्तियों को उस स्थान पर नहीं लूटा गया।

घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।]

श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों एवं औषधालयों में दवा की खरीद पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रम विभाग के अन्तर्गत आने वाले....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0 के अस्पतालों/औषधालयों में दवा खरीद पर रोक लगाए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0 के चिकित्सालयों/औषधालयों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 में औषधि क्रय मद के अन्तर्गत कुल

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रू0-404.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का अंश व उत्तर प्रदेश शासन का अंश 7:1 का है। उक्त धनराशि में से नवम्बर, 2004 तक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा रू0-322.50 लाख की औषधियां बीमित श्रमिकों के हितार्थ क्रय कर ली गयी थी जो वित्तीय वर्ष के उक्त अवधि के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त थी और औषधियों के अभाव में किसी समस्या से ग्रसित होने सम्बन्धी इलाहाबाद सहित प्रदेश के किसी भी बीमित श्रमिक संगठन व जन प्रतिनिधि द्वारा शासन स्तर/निदेशालय स्तर पर कोई शिकायत नहीं की गयी है। शासनादेश संख्या-3351/36-7-2000-5(9)/92 दिनांक 15-11-2000 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालयों/औषधालयों में बीमित श्रमिकों को ब्रेण्डेड नेम की दवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ था ताकि इन्हें उच्च कोटि की औषधियां उपलब्ध करायी जा सकें।

औषधि क्रय नीति के सम्बन्ध में शासन स्तर पर यह प्रकरण विचाराधीन था कि शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, श्रम की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय औषधि क्रय समिति के स्थान पर निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0 की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए और उसकी रिपोर्ट पर औषधि क्रय हेतु अनुमति वित्त विभाग की सहमति से दी जाए। कदाचित तत्कालीन प्रमुख सचिव, श्रम, द्वारा नयी नीति निर्धारण होने तक बजट की अवशेष धनराशि से औषधियां क्रय न करने के मौखिक निर्देश निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तर प्रदेश को दिए गए थे।

नयी नीति निर्धारित करने व औषधि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर विचार विमर्श उपरान्त वित्तीय वर्ष 2004-2005 में अवशेष अवधि कम होने के कारण श्रमिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निर्धारित क्रय नीति के अनुसार ही अवशेष धनराशि रू0-82.00 लाख की औषधियां क्रय करने का निर्णय शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय औषधि क्रय समिति की बैठक दिनांक 17-02-2005 में लिया गया जिसके अनुक्रम में शासनादेश दिनांक 11-3-2005 द्वारा निदेशक, ई0एस0आई0 को निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। उक्त से स्पष्ट है कि कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में औषधियों की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और न ही इस प्रकार की कोई शिकायत किसी श्रमिक संगठन/जन-प्रतिनिधि द्वारा शासन व निदेशालय स्तर पर नहीं की गयी है। बजट के अवशेष भाग को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा। शासन बीमित श्रमिकों को उच्च चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है।]

कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी में गंगा नदी के पानी के प्रदूषण को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कार्य योजना बनायी जाने विषयक तथा प्रदेश के वर्ष 2004-2005 में किसानों को सूखे से हुयी क्षति तथा सूखा राहत देने हेतु मानक बनाये जाने विषयक नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाओं का निरस्तीकरण

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 41 एवं 42 से सम्बन्धित चर्चा निरस्त की जाती है।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 15 मार्च, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारां0 प्र0स0--13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

कर्मचारी संघ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रेषित मांग पत्र 31-12-2004 के द्वारा मांगी मांगे।

1-जनसम्पर्क अधिकारी पद के लिए घोषित साक्षात्कार तिथि 10-1-05 निरस्त करने तथा कार्यरत कर्मचारियों में से पदोन्नति किये जाने।

2-समस्त गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त करने तथा प्रस्तावित साक्षात्कार तिथि को रोका जाना।

3-वर्षों तक कार्य कर चुके एवं कार्य कर रहे प्रमाण पत्र लेखन कर्मियों तथा अब तक असमायोजित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तत्काल समायोजन।

4-रिक्त आशुलिपिक के पदों पर पदोन्नति कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में से योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाय।

5-पुस्तकालय सहायक, सूचीकार-वर्गीकार, पांचांग सहायक, अनुसंधान सहायक, सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पदों पर परम्परानुसार पूर्व की भांति पदोन्नति की जाय।

6-डाटा इन्ट्री आपरेटर के पदों पर तत्काल विधिक राय लेकर नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाय।

7-सुरक्षा एवं उद्यान विभाग में कार्यरत 50 वर्ष से ऊपर के कर्मियों का स्थानान्तरण कार्यालय में किया जाय।

8-अनुसंधान परिषद् एवं चतुर्थ श्रेणी कालोनी की सड़क का निर्माण एवं इसे माली आवास तक सड़क विस्तार। सीवर निर्माण जल निकास कार्य शुद्ध पेयजल की पूर्ति तथा आवासों की मरम्मत व ग्रिल लगाया जाना।

9-शासनादेशानुसार सुरक्षा एवं अन्य विभागों में नियुक्त परिचारकों को उनके मूल पद पर पदास्थापन किया जाय।

10-इलाहाबाद हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता डा0 घनश्यामदास मिश्र द्वारा गलत तथ्य मा0 उच्च न्यायालय में रखे जाने को दृष्टि में रखते हुए संस्था हित में तत्काल उन्हें हटाया जाय। साथ ही पत्रकारिता पाठ्यक्रम में संविदा के आधार पर अंशकालिक शिक्षक के रूप में श्री शशीन्द्र मिश्र को मुक्त किया जाय।

पी0एस0यू0पी0-एल0 51 विधान सभा (88)-28-6-2005-813 (कम्प्यूटर)।